भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

“पुराना किला, दिल्ली” के लिये धरोहर उपनियम

Heritage Bye-laws for “**Purana Qila, Delhi**”

विषयवस्तु		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.0	अधिसूचना, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	01
1.1	परिभाषाएँ	01
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**		
2.0	अधिनियम की पृष्ठभूमि	04
2.1	धरोहर उप नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	04
2.2	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां (जैसा कि नियम में बताया गया है)	05
अध्याय III **नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारक पुराना किला की अवस्थिति**		
3.0	स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	05
3.1	स्मारक की संरक्षित सीमा	06
	3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) अभिलेख (रिकॉर्ड) के अनुसार अधिसूचित मानचित्र / योजना:	06
3.2	स्मारकों/स्थल का इतिहास	06
3.3	स्मारक का विवरण (वास्तुकला विशेषताएँ, तत्व, सामग्री आदि)	07
3.4	वर्तमान स्थिति	12
	3.4.1 स्मारक की स्थिति, स्थिति का मूल्यांकन	12
	3.4.2 दैनिक पदार्पण व कभी – कभार जुटने वाली भीड़	12
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, यदि कोई है, तो विद्यमान क्षेत्रीयकरण**		
4.0	स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण	12
4.1	'दिल्ली मुख्य योजना (मास्टर प्लान)''2021 के वर्तमान दिशा-निर्देश संलग्नक– I में देखे जा सकते हैं।	13
अध्याय V **प्रथम अनुसूची, और टोटल स्टेशन सर्वेक्षणके अनुसार सूचना**		
5.0	किले की समोच्च योजना(कंटूर प्लान)	13
5.1	सर्वेक्षण किए गए विवरण (डाटा) का विश्लेषण	13
	5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	13
	5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	13

	5.1.3 हरित/खुले स्थलों का विवरण	15
	5.1.4 परिसंचरण सड़कों, पैदलपथों (फुटपाथ्स) आदि के अंतर्गत आवरण क्षेत्र	16
	5.1.5 इमारतों की ऊंचाई क्षेत्रवार (जोनवाइज)	16
	5.1.6 प्रतिषिद्ध/ विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य संरक्षित स्मारक और यदि उपलब्ध हो तो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध भवन:	16
	5.1.7 जन सुविधाएं	17
	5.1.8 स्मारक तक पहुंच	17
	5.1.9 अवसंरचनात्मक सुविधाएं (जल आपूर्ति, वर्षा के पानी की निकासी, मल प्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):	18
	5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीयकरण (जोनिंग):	18
अध्याय VI **स्मारक का स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**		
6.0	स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	18
6.1	स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):	19
6.2	संरक्षित स्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:	19
6.3	भूमि के उपयोग की पहचान	19
6.4	संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष	19
6.5	सांस्कृतिक परिदृश्य	20
6.6	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक की रक्षा करने में भी मदद करते हैं:	21
6.7	खुले स्थान का उपयोग और निर्माण-कार्य	21
6.8	परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप	21
6.9	स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज	21
6.10	स्थानीय वास्तुकला	21
6.11	स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना	21
6.12	भवन संबंधी पैरामीटर	21
6.13	पर्यटक सुख- सुविधाएं	22
अध्याय VII **स्थल विशिष्ट संस्तुतियां**		
7.0	स्थल विशिष्ट अन्य संस्तुतियां	22

CONTENTS

	CHAPTER I	
	PRELIMINARY	
1.0	Notification and Short title, Extent and Commencement	23
1.1	Definitions	23
	CHAPTER II	
	BACKGROUND OF THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (AMASR) ACT, 1958	
2.0	Background of the Act	26
2.1	Provision of Act related to Heritage Bye-Laws	26
2.2	Rights and Responsibilities of Applicant	26
	CHAPTER III	
	LOCATION AND SETTING OF CENTRALLY PROTECTED MONUMENT OF PURANA QILA, NEW DELHI	
3.0	Location and Setting of the Monument	27
3.1	Protected boundary of the Monument	28
	3.1.1 Notification Map/Plan as per ASI records	28
3.2	History of the Monument	28
3.3	Description of Monument (Architectural features, Elements, Materials etc.)	28
3.4	Current Status:	33
	3.4.1 Condition of Monument	33
	3.4.2 Daily footfalls and Occasional gathering numbers	33
	CHAPTER IV	
	EXISTING ZONING, IF ANY, IN THE LOCAL AREA DEVELOPMENT PLAN	
4.0	Existing Zoning in the local area development plans	33
4.1	Existing Guidelines of the local bodies as per Delhi Master Plan 2021(Annexure-I)	33
	CHAPTER V	
	INFORMATION AS PER FIRST SCHEDULE AND TOTAL STATION SURVEY	
5.0	Contour Plan of the fort	34
5.1	Analysis of surveyed data:	34
	5.1.1 Protected Area, Prohibited Area and Regulated Area details	34
	5.1.2 Description of built up area	34
	5.1.3 Description of green/open spaces	35

	5.1.4 Area covered under circulation – roads, footpaths etc.	36
	5.1.5 Height of buildings (zone-wise)	36
	5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	37
	5.1.7 Public amenities	37
	5.1.8 Access to monument	37
	5.1.9 Infrastructure services	38
	5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	38
	CHAPTER VI **ARCHITECTURAL, HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL VALUE OF THE MONUMENT**	
6.0	Historical and archaeological value	38
6.1	Sensitivity of the monument	38
6.2	Visibility from the protected monument or area and visibility from Regulated Area	39
6.3	Land-use to be identified	39
6.4	Archaeological heritage remains other than protected monument(s)	39
6.5	Cultural landscapes	40
6.6	Significant natural landscapes	40
6.7	Usage of open space and constructions	40
6.8	Traditional, historical and cultural activates	40
6.9	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	41
6.10	Vernacular architecture	41
6.11	Developmental plan as available by the local authorities	41
6.12	Building related parameters	41
6.13	Visitor facilities and amenities	42
	CHAPTER VII **SITE SPECIFIC RECOMMENDATIONS**	
7.0	Other Site Specific Recommendations	42

	संलग्नक/ Annexure	
संलग्नक- I	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार संरक्षित चारदीवारी की व्याख्या संबंधी अधिसूचना मानचित्र	43
Annexure- I	Notification map as per ASI records – definition of Protected Boundaries	43
संलग्नक- II	स्मारक और इसके आस-पास के चित्र	44
Annexure- II	Images Of The Surrounding Areas Of The Monument	44
संलग्नक- III	स्थानीय निकाय दिशा – निर्देश	48
Annexure- III	Local Bodies Guidelines	58
संलग्नक- IV	पुराना किला स्मारक के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र	66
Annexure-IV	Maps Providing Detailed Information for Monument- Purana Qila	66

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 जिसे प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप नियम बनाना और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पढ़ा जाए, की धारा 20 ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय संरक्षित स्मारक 'पुराना किला' के लिए निम्नलिखित प्रारूप धरोहर उप नियम जिन्हें "कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास" (इनटेक) के साथ परामर्श करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य निष्पादन), नियम 2011 के नियम 18, उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित सभी व्यक्तियों की आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियॉं अथवा सुझाव, यदि कोई हैं, तो उन्हें सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (संस्कृति मंत्रालय) 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली को अथवा ईमेल helpdesk.nma@gmail.com पर अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर भेजा जाए।

किसी व्यक्ति से अवधि समाप्त होने की तिथि से पूर्व प्राप्त उक्त प्रारूप उप नियमों के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट, आपत्ति अथवा सुझाव, पर राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

धरोहर उप नियम प्रारूप
अध्याय I
प्रारंभिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

(i) इन उप नियमों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक पुराना किला के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप नियम,2019 कहा जाएगा।
(ii) ये स्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगे।
(iii) ये उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1.1 परिभाषाएँ-

(1) इन उप नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या दफ़नगाह,या कोई गुफा, शैल-रूपकृति, उत्कीर्ण लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रूचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं-

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,
(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,
(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने केलिए अपेक्षित हो, तथा
(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा प्रभाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा
(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक पुरातत्व अधीक्षक से निम्नतर पंक्ति का नहीं है;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न या समतुल्य पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

परन्तु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग,20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुर्ननिर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जल निकास संकर्मों तथा सार्वजनिक शौचालयों- मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जल के प्रदाय का उपबंध करने के लिए आशयित संकर्मों का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत के प्रदाय और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए उपबंध नहीं हैं;]

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात= भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसे पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉं निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक- उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तरवर्ती;

(ठ) "परिरक्षण" से आशय किसी स्थान की विद्यमान स्थिति को मूलरूप से बनाए रखना और खराब स्थिति को धीमा करना है;

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20क के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;]

(ढ) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(थ) "पुर्ननिर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी समान क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएँ हैं;

(द) "मरम्मत और नवीकरण" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुर्ननिर्माण नहीं होंगे।]

(2) यहां प्रयोग किए शब्द और अभिप्राय जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.0 अधिनियम की पृष्ठभूमि:धरोहर उपनियमों का उद्देश्य केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र,** यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित स्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र,** यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून,1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना निर्माण, पुर्ननिर्माण, मरम्मत अथवा नवीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.1 धरोहर उप नियमों से संबंधित अधिनियम के उपबंध: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958, खंड 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप नियमों का निर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य)2011,

नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए उप नियम बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप नियम बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्ते तथा कार्य संचालन) नियम,2011, नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप नियमों को अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.2 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियाँ: प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, धारा 20ग,1958 में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत या नवीकरण के लिए आवेदन का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विनिर्दिष्ट है:

(क) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे भवन अथवा संरचना का स्वामी है जो 16 जून,1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद था अथवा जिसका निर्माण इसके उपरांत महानिदेशक के अनुमोदन से हुआ था तथा जो ऐसे भवन अथवा संरचना का किसी प्रकार की मरम्मत अथवा नवीकरण का काम कराना चाहता है, जैसा भी स्थिति हो, ऐसी मरम्मत और नवीकरण को कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(ख) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी विनियमित क्षेत्र में कोई भवन अथवा संरचना अथवा भूमि है और वह ऐसे भवन अथवा संरचना अथवा जमीन पर कोई निर्माण, अथवा पुननिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण का कार्य कराना चाहता है, जैसी भी स्थिति हो, निर्माण अथवा पुर्ननिर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदनकर सकता है।

(ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

नई दिल्ली स्थित केंद्रीय संरक्षित स्मारक पुराना किला की अवस्थिति

3.0 स्मारक का स्थान एवं अवस्थिति

- स्मारक 28°36’33” उत्तरी अक्षांश, 77°14’34”पूर्वी देशांतर में स्थित है।
- पुराना किला या प्राचीन किला मथुरा रोड पर हुमायूं के मकबरे से लगभग 2 किमी उत्तर में स्थित है। यह मूल रूप से यमुना नदी के दाएँ तट पर एक पथरीली सतह पर बनाया गया था। अब नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर इससे लगभग एक किलो मीटर पूर्व की ओर बहती है।
- पुराना किला के दक्षिणी किनारे पर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नेशनल जूलॉजिकल पार्क) 240 एकड़ में फैला है। किले के उत्तरी भाग में प्रगति मैदान, शिल्प संग्रहालय (क्राफ्टस म्यूजियम)

और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (नेशनल साइंस सेंटर) तथा धार्मिक महत्व के स्थल मटकापीर और दरगाह हैं, जबकि भैरव मंदिर पुराना किला की पश्चिमी दिशा में स्थित है। खैरूल-मनाज़िल मस्जिद और लाल दरवाजा मथुरा रोड के दूसरी ओर पुराना क़िला के पश्चिमी भाग में स्थित है।

मानचित्र 1, गूगल मानचित्र पुराना किला, दिल्ली के केंद्रीय संरक्षित स्मारक का स्थान दर्शाता है

3.1 स्मारक की संरक्षित सीमा:

केंद्रीय संरक्षित स्मारक **पुराना किला** का स्थान और संरक्षित सीमाएँ संलग्नक IV में मानचित्र -1 में देखी जा सकती हैं।

3.1.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई.) के अभिलेख (रिकार्ड) के अनुसार अधिसूचित मानचित्र/योजना:

पुराना किला की राजपत्र अधिसूचना संख्या 9058 शिक्षा, दिनांक 19.01.1918 है।

[अधिसूचना की प्रति संलग्नक- I पर देखी जा सकती है]

3.2 स्मारकों/स्थल का इतिहास

एक प्राचीन टीले पर बना पुराना किला दिल्ली की सबसे पुरानी बसावटों में से एक है। माना जाता है कि यह स्थल, महाकाव्य महाभारत में वर्णित महान इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रपत) को दर्शाता है।

स्थानीय परंपराएँ व किंवदंतियाँ बताती हैं कि पांडवों नें इन्द्रप्रस्थ पर छत्तीस वर्षों तक शासन किया।

बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, यह 'युधिट्ठिल गोत्त' वाले राजाओं और बुद्ध के समय 'कोरव्य' नाम के मुखिया द्वारा शासित था। चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य स्थल संग्रह में पाए गए जो कुरू जनपद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1969 से पुराना किला की खुदाई के दौरान मौर्य काल (300 ई.पू.), शुंग काल (200-100 ई.पू.), शक-कुषाण काल (100 ई.पू.—300 ई.), गुप्त काल (300-600 ई.), उत्तर गुप्त काल के साक्ष्य (700-900 ई.), पूर्व मध्य काल के साक्ष्य(900-1200 ई.)सल्तनत काल (1206-1526 ई.)और प्रारंभिक मुगल काल (1526-1556 ई.) के साक्ष्य पाए गए हैं।

तारिख-ए-फिरोजशाही (13 वीं शताब्दी) के लेखक शम्स-ए-सिराज अफीफ ने अपने उल्लेख में इंद्रप्रस्थ को परगना (जिला) का मुख्यालय बताया है। अबुल फ़ज़ल ने अपने आइन-ए-अकबरी (16 वीं शताब्दी) में कहा है कि दिल्ली,जो पुरावशेषों के महान शहरों में से एक है, को पहले इंद्रपत कहा जाता था।

सोलहवीं शताब्दी के दूसरे चरण में द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं नें स्वयं का एक नगर बनाने का निर्णय लिया तथा अपने किले के लिये इसी स्थल का चयन किया जो एक प्राचीन टीला था। उसने दिल्ली के छठे नगर दीनपनाह (धर्म में आस्था रखने वालों का आश्रय) की स्थापना जुलाई 1533 ई. में की। गौरतलब है की बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पुराना किला के कोट के भीतर इंद्रपत नाम का गॉव था।

प्रांतीय राज्यपालों के साथ लगातार संघर्ष के कारण हुमायूं अपने निर्माण कार्यों को पूरा नहीं कर सके केवल किले की सुरक्षा दीवाल और द्वार बनवा पाए। पूर्वी भारत (बिहार और बंगाल) के शासक शेर शाह हुमायूं को 1539 और 1540 ई. में हराने के बाद दिल्ली के सम्राट बन गये। उन्होंने किले को पूरा किया, कई नई इमारतों को जोड़ा और शहर का नाम बदलकर शेरगढ़ रखा।

3.3 स्मारक का विवरण वास्तुकला विशेषताएँ, तत्व, सामग्री आदि

पुराना किला, का नियोजन आयताकार एवं अनियमित है। यह एक किलेबंदी की दीवार से घिरा है। इसके पूर्वी और पश्चिमी पक्ष क्रमशः 707 मीटर (2320 फीट) और 622 मीटर (2040 फीट) माप के हैं। तथा उत्तरी पक्ष तथा दक्षिणी पक्ष से अधिक लम्बे हैं। उत्तरी पक्ष 355 मीटर (1164 फीट) लंबा है जबकि दक्षिणी पक्ष की लंबाई 221 मीटर (725 फीट) है। लगभग 1.90 कि.मी. परिधि की किलेबंदी की दीवार है जिसमें झरोखे (विकेट) एवं दरवाजे हैं। और इसमें तीन खिड़कियॉ पूर्वी दीवार में और एक पश्चिमी दीवार में बनाई गई है जो अब बंद कर दी गई हैं। अनगढ़े पत्थरों की चिनाई से बनी दीवारों के प्रत्येक कोने में बड़े बुर्ज हैं। मूल रूप से, इन सभी दो मंजिला बुर्जों के ऊपर को पश्चिमी दरवाजे के बुर्ज की तरह छत्रियॉ थीं। किला तीन

दिशाओं से एक परिखा से घिरा हुआ था, पूर्व में यमुना नदी से जुड़ा था। इस परिखा के अवशेष अभी भी किले के उत्तर पश्चिमी भाग में देखे जा सकते हैं। किले के प्रवेश द्वारों की पहुँच मुख्य भूमि से एक चलसेतु के माध्यम से थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिमी दरवाजे से प्रवेश के लिए एक तटबंध और ढलान (रैंप) बनाया गया था।किले में तीन, दो मंजिला द्वार हैं जो पूर्वी दिशा को छोड़कर तीन दिशाओं में हैं। पश्चिमी ओर के द्वार को बड़ा दरवाजा के नाम से जाना जाता है जिसका उपयोग किले के प्रवेश द्वार के लिए किया जा रहा है। अन्य दो द्वार हुमायूँ दरवाजा और तलाकी दरवाजा क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी दिशा में स्थित हैं।

पुराना किले के भीतर महत्वपूर्ण विरासत संरचनाएं निम्नलिखित हैं:

i) किला-ए-कुहना मस्जिद

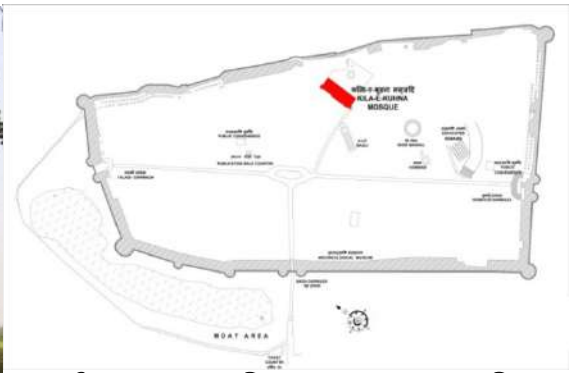

किला-ए-कुहना मस्जिद का आधारभूत मानचित्र

1541 ईस्वी में शेर शाह द्वारा निर्मित किला-ए-कुहना मस्जिद भारतीय इस्लामिया (इंडो-इस्लामिक) वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण एतिहासिक स्थल है। यह जामी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी पहले जो सुल्तान और उनके शाही दरबारियों के लिए शुक्रवार की प्रार्थना करने के लिये बनी थी। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के साथ निर्मित, इसमें एक आयताकार प्रार्थना हॉल (51X15 मीटर) है, जिसके अग्रभाग में पॉच मेहराब हैं।16.67 मीटर (54'7") ऊँची केंद्रीय मेहराब के किनारे पर संकीर्ण धारियों वाले भित्ति स्तंभ हैं। इन्हें विशेष रूप से सफेद और काले संगमरमर के संकेन्द्रिक मेहराबों से सजाया गया है।मेहराब की आवर्ती सतह, जिसके माध्यम से प्रवेश है, को संगमरमर और अन्य पत्थरों के जड़ाऊ कार्य से सजाया गया है और इसके शीर्ष पर एक झरोखा (ओरियल विन्डो) है। दोनों तरफ की मेहराबों को समान रूप से किंतु कम अलंकरण के साथ निर्मित किया गया है।

यह मस्जिद, लोदी से मुगल शैलियों में परिवर्तन की मिसाल देते हुए, मस्जिद के स्थापत्य के विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अग्रभाग में पांच मेहराबों, झरोखों और पीछे की ओर कोने में बनी मीनारें ऐसी विशेषताएँ हैं जो पहले की मस्जिदों जैसे बड़ागुम्बद मस्जिद, मस्जिद मोठ और जमाली-कमाली मस्जिद से विकसित हुई हैं।

ii) शेर मंडल

शेरमंडल किले में महल की एकमात्र बची हुई इमारत है, ये दो मंजिला अष्टकोणीय संरचना तिमुरिद-सफाविद मंडप के प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है। शेर मंडल का अधिकतम व्यास 15.84 मीटर (52 फीट) है और यह इमारत लगभग 18.28 मीटर (60 फीट) ऊँची है। यह दो मंजिला इमारत 1.21 मीटर (4 फीट) ऊँची पीठिका पर खड़ी है और लाल बलुआ पत्थरों से बनी है जो संगमरमर के द्वारा अलंकृत है। इसका निर्माण शेर शाह ने 1541 ईस्वी में आनंद मंडप के रूप में कराया था। 1555 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद हुमायूं ने इसे अपने पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल किया था और यहीं पर 1556 ईस्वी में हुमायूं की गिरकर मृत्यु हो गई थी। एक अष्टकोणीय छतरी इस मीनार (टावर) के ऊपर निर्मित है।

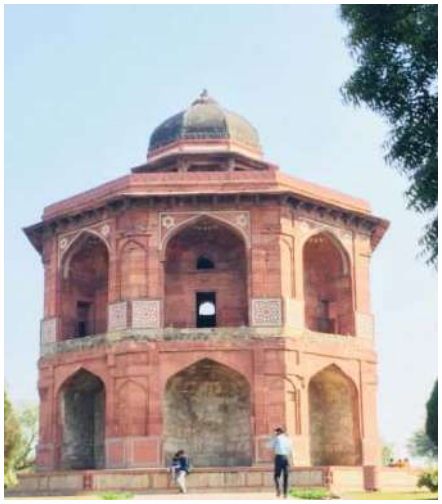

शेर मंडल का आधारभूत मानचित्र

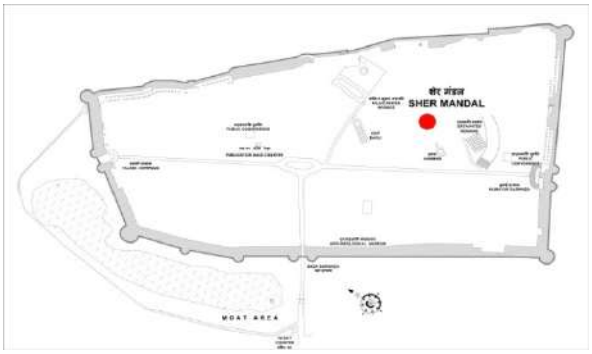

ऊपरी मंजिल के क्रूसिफ़ॉर्म आंतरिक भाग संयोजित है जो इस प्रकार संबंधित है कि अक्षीय मार्ग द्वारा बाहरी आठ में से चार आलों से वाल्ट की मेहराबदार जाली भी तिमुरिद शैली एक परिभ्रमण पथ बनाते हैं। आंतरिक गुंबद और पत्थर से आच्छादित है और इसके ऊपर एक छतरी की प्रेरणा है। संरचना स्थानीय लाल बलुआ भारतीय (सल्तनत) वास्तुकला का एक विशिष्ट लक्षण है। (छोटे गुम्बद वाले कियोस्क) है, जो

iii) बावड़ी

मस्जिद के दक्षिण-पश्चिम की ओर एक बड़ी बावड़ी स्थित है। चूंकि किला ऊँची जमीन पर बना था, अतः भूजल स्तर काफी नीचे था। इसलिए, किले के लिए पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए बावड़ी का निर्माण किया गया था। इसकी छत का निर्माण घटती मेहराबों की एक श्रृंखला में किया गया था। इसकी नवासी सीढ़ियाँ और आठ अवतरण (लैंडिंग) हैं। इसका उत्तरी सिरा घटती मेहराबों की श्रंखला के साथ एक गोलाकार कुएं में समाप्त हो जाता है।

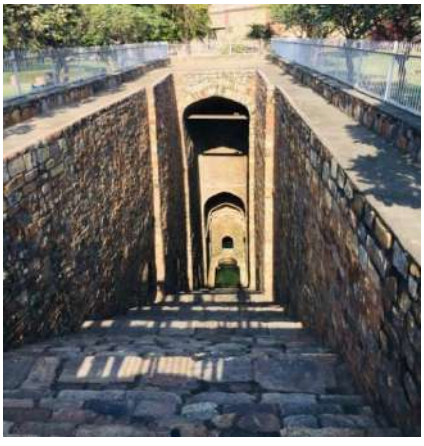

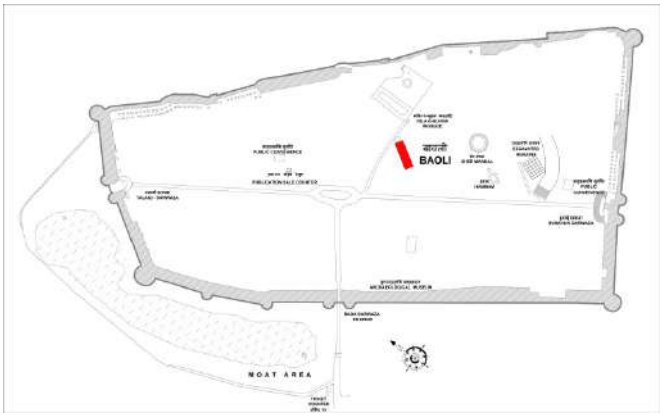

बावड़ी का आधारभूत मानचित्र

iv हमाम

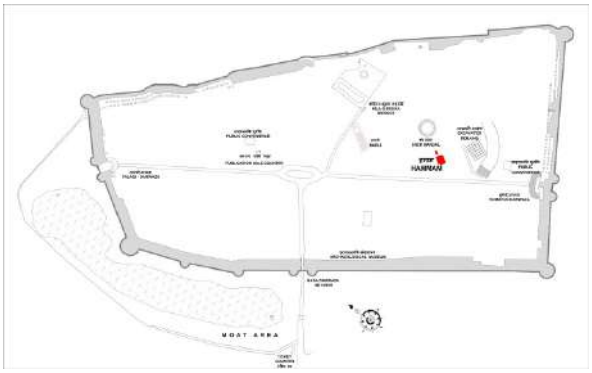

हमाम का आधारभूत मानचित्र

लखौरी ईंटों से बना एक हमाम शेर मंडल के दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। यह अब जर्जर अवस्था में है। कई वर्षों से यह अन्य संरचनाओं द्वारा आवृत्त था और यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 में इंद्रपत गॉव की सफाई और स्थल के संरक्षण कार्य के दौरान प्रकाश में आया था। पकी मिट्टी की नलिका (टेराकोटा पाइप) और पानी के शूट के अवशेष अभी भी लगभग 3.20 मीटर (10'5 ") वर्ग कक्ष के आसपास देखे जा सकते हैं। यह एक वर्गाकार इमारत है जिसका निर्माण लखौरी ईंटो से किया गया था। मिट्टी की पाइपों जिनका उपयोग मुख्यत: हमाम में पानी लाने के लिये किया जाता था, उन्हें अब भी कई स्थानों में देखा जा सकता है। हमाम के आंतरिक भाग की दीवार में पानी का एक शूट है।

v) हुमायूं गेट

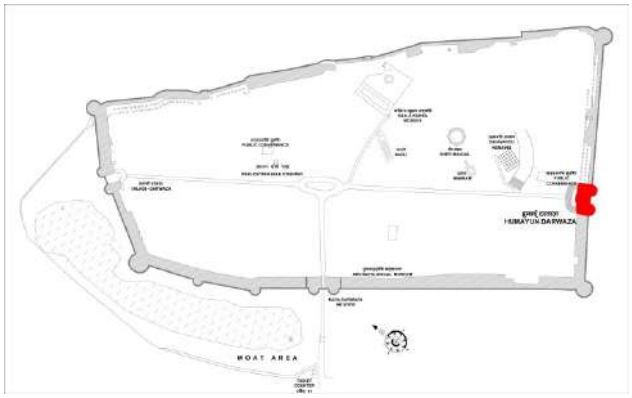

हुमॉयूं गेट का आधारभूत मानचित्र

हुमायूं गेट, पुराना किला का दक्षिणी दरवाजा है जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नेशनल जूलाजिकल पार्क) और हुमायूं के मकबरे की ओर है। यह दो मंजिला प्रवेश द्वार लाल बलुआ पत्थरों से बना है। इसके किनारों पर दो अर्ध-गोल बुर्ज हैं और इसे सफेद संगमरमर से अलंकृत किया गया है।

vi) तलाकी दरवाजा

तलाकी दरवाजा पुराना किला का उत्तरी द्वार है और इसे किले के सबसे आकर्षक हिस्सों में से एक माना जाता है। तलाकी दरवाजा का अर्थ है मिलन दरवाजा। हालाँकि, इसे आम तौर पर "निषिद्ध द्वार" (जिससे प्रवेश की मनाही है) कहा जाता है। यह बुलंद दरवाजा, लाल और धूसर बलुआ पत्थरों से बना है। यह 17 मीटर (56'2) ऊँचा और 4.54 मीटर (14'9 ") चौड़ा है।

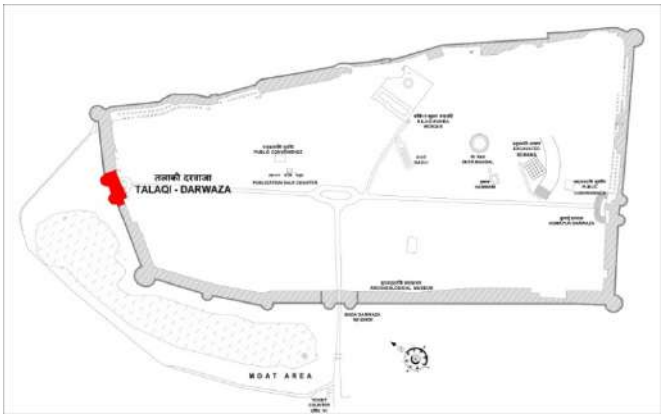

तलाकी दरवाजा का आधारभूत मानचित्र

vii) बड़ा दरवाजा

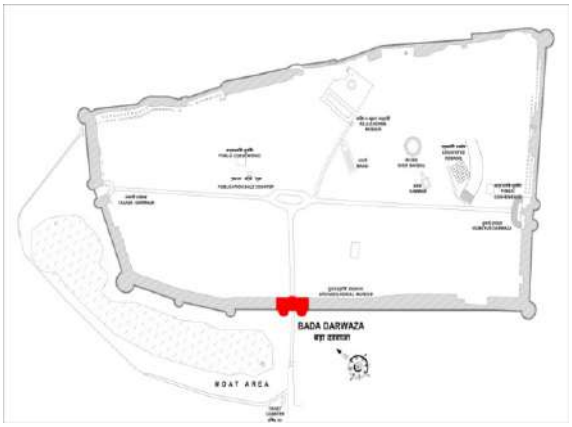

बड़ा दरवाजा, जो अब पुराना किला का एकमात्र प्रवेश द्वार है, 1533-34 ई. में बनाया गया था। इसमें एक ऊँची सड़क के माध्यम से पहुँचा जा सकता है जो मथुरा रोड के सामने है। बड़ा दरवाजा तक वर्तमान पहुँच मार्ग का निर्माण केवल 1900 के प्रारंभ में किया गया था, इससे पहले चलसेतु के माध्यम से परिखा को पार करके पुराना किला के अंदर पहुँचा जाता था।

बड़ा दरवाजा का आधारभूत मानचित्र

बड़ा दरवाजा एक तीन मंजिला संरचना है जिसमें दो बड़े अनगढ़ित पत्थर (रबल मैशनरी) से बने बुर्ज हैं। बुर्जों में जड़ाऊ काम, नक्काशी और टाइल के काम द्वारा अलंकरण (उनमें से एक में एक छतरी है और शीर्ष पर एक छोटा गुंबददार स्तंभित मंडप है) किया गया है। दरवाजा गहरे

लाल बलुआ पत्थरों से जड़ा हुआ है, जिसमें सफेद और धूसर काला संगमरमर है। बड़ा दरवाजा के मुख्य मेहराब के दोनों ओर दो छः-कोणों वाले तारे जड़े हुए हैं। दरवाजे की दूसरी मंजिल में तीन खुले भाग हैं, जिनमें से बाहरी दो भाग में झरोखे (ओरियल विन्डो) हैं जिनमें नीले और हरे रंग का टाइल का काम किया गया है। दरवाजे के निकट बुर्ज के ऊपर छतरी पर समान टाइल का काम देखा जा सकता है। अंदर के वाल्टेड कमरों को कभी गार्डरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था।

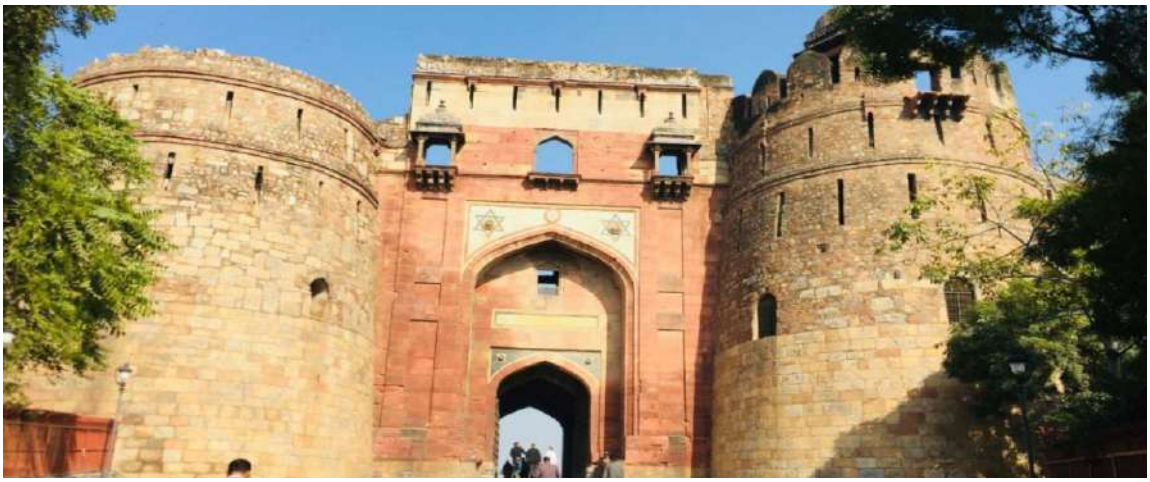

3.4 वर्तमान स्थिति

3.4.1 स्मारक की स्थिति – स्थिति का मूल्यांकन

स्मारक परिरक्षण की अच्छी स्थिति में है। स्मारक और उसके आसपास की हाल की तस्वीरों को संलग्नक-II में देखा जा सकता है।

3.4.2 दैनिक पदार्पण व कभी – कभार जुटने वाली भीड़:

पुराना किला प्रवेश शुल्क देय स्मारक है, लगभग 7241 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और 10,22,774 घरेलू पर्यटक सालाना इस स्मारक को देखने आते हैं।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में, यदि कोई है, तो विद्यमान क्षेत्रीयकरण

4.0 स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विद्यमान क्षेत्रीकरण

स्मारक के स्थान का आसपास के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसे मुख्य योजना (मास्टर प्लान) और शहर की क्षेत्रीय योजनाओं में महत्व दिया गया है। मुख्य योजना (मास्टर प्लान) 2021 इस क्षेत्र को दिल्ली के छह विरासत क्षेत्रों में से एक के रूप में नामित करता है और पुराना किला दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इंद्रप्रस्थ पुरातत्व पार्क का एक हिस्सा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय नियोजन (जोनल प्लान) डी में 52 स्मारकों की सूची है। पुराना किला/प्राचीन किला, सूची में 52 स्मारकों में से एक है। पुराना किला दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 55-S में स्थित है।

[वार्ड नंबर 55 S और क्षेत्रीय नियोजन (जोनल प्लान) डी को -मानचित्र 4 और 5 पर संलग्नक IV में देखा जा सकता है]

4.1 'दिल्ली मुख्य योजना (मास्टर प्लान)''2021 के वर्तमान दिशा निर्देश-संलग्नक– I में देखे जा सकते हैं।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, और टोटल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.0 किले की समोच्च योजना(कंटूर प्लान)

पुराना किला के सर्वेक्षण मानचित्र और समोच्च मानचित्र को संलग्नक -4 के क्रमशः मानचित्र - 2 और मानचित्र -3 में देखा जा सकता है।

5.1 सर्वेक्षण किए गए विवरणका (डाटा) का विश्लेषण:

5.1.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- स्मारक का कुल संरक्षित क्षेत्र **203,164.333 वर्ग मीटर है।**
- स्मारक का कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र **224,398.189 वर्ग मीटर है।**
- स्मारक का कुल विनियमित क्षेत्र **634,846.554 वर्ग मीटर है।**

5.1.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण

संरक्षित क्षेत्र

- पुराना किला संग्रहालय, प्रकाशन बिक्री केन्द्र और सार्वजनिक सुविधाऐं स्मारक की संरक्षित सीमा के अंदर स्थित हैं।
- कुंती देवी मंदिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है।
- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एन.बी.सी.सी.) सरंक्षित क्षेत्र में एक व्याख्या केंद्र और एक सुविधा खण्ड का निर्माण कर रहा है।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- दक्षिण-पूर्व दिशा में पुराना किला की परिखा को वर्ष 1971-72 में एक नौका विहार स्थल के रूप में पुर्नविकसित किया गया।

- भैरों मंदिर या किलकारी बाबा भैरव नाथ मंदिर पूर्व दिशा में प्रगति मैदान के सामने, पुराना किला के बाहर स्थित है।
- मथुरा रोड और भैरों मार्ग का एक हिस्सा, उत्तर दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

विनियमित क्षेत्र

उत्तर दिशा

- मटका पीर मस्जिद, मथुरा रोड पर फुट ओवर ब्रिज, प्रगति मैदान का एक भाग, भैरो मार्ग इस दिशा में हैं।
- अनाधिकृत/अतिक्रमित जे.जे.कॉलोनी (जे.जे.कॉलोनी द्वारा आवृत्त किया गया कुल क्षेत्र 5968.108 वर्ग मीटर) है, जे.जे.कॉलोनी के पास रेलवे लाइन, प्राणी उद्यान (जूलॉजिकल पार्क) और नाले का एक हिस्सा भी इस दिशा में मौजूद है।

उत्तर- पूर्व दिशा

- नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एन.बी.सी.सी.) भैरो मार्ग के सामने नया निर्माण कार्य कर रही है जो इस दिशा में विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- प्रगति मैदान, दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) प्रगति मैदान बस टर्मिनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्रांतिका (लाउंज), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र इस दिशा में स्थित है।
- इस दिशा में प्रगति मैदान के पुर्नविकास की परिकल्पना दो चरणों में की गई है। चरण-1 पुनर्विकास, मई 2019 तक पूरा होने की उम्मीद है जिसमें 7,000 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाला एक सम्मेलन केन्द्र (कन्वेंशन सेंटर) का निर्माण शामिल है।

पूर्व दिशा

- इस दिशा में, भैरो मार्ग पर श्री शीतला चंडी काली प्राचीन मंदिर, विनियमित क्षेत्र में है।

दक्षिण दिशा

- राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का अधिकतर हिस्सा इस दिशा में स्थित है।
- रेलवे ट्रैक भी इसी दिशा में स्थित है।

दक्षिण- पश्चिम दिशा

- सुंदर नगर आवासीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा इस दिशा में स्थित है
- टिकट काउंटर, चिड़ियाघर प्रशासनिक भवन, पर्यटकों के लिए पार्किंग क्षेत्र और एक कैंटीन भी इस दिशा में स्थित हैं।

पश्चिम दिशा

- खैरूल-मनाज़िल मस्जिद और शेरशाह गेट (केंद्रीय संरक्षित स्मारक) का एक हिस्सा, मथुरा रोड के सामने, पुराना किला के विनयमित क्षेत्र में स्थित है।

उत्तर- पश्चिम दिशा

- मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और इसका स्विमिंग पुल इसी दिशा में स्थित है।

5.1.3 हरित/खुले स्थलों का विवरण

संरक्षित क्षेत्र

पुराना किला का संरक्षित क्षेत्र, 90% खुली जगह है जिसमें अच्छी करीने (मैनीक्योर) से बने परिदृश्य उद्यान (लैंडस्केप गार्डेन) शामिल हैं, जिन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में जनता उपयोग करती है। इस स्थान का उपयोग पर्यटन विभाग द्वारा ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम (लाइट और साउंड शो) के लिए भी किया जाता है।

प्रतिषिद्ध क्षेत्र

- स्मारक की पश्चिम दिशा में, पुराना किला झील का एक हिस्सा मौजूद है।
- प्राणी उद्यान का एक हिस्सा पुराना किला के दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में स्थित है।

विनियमित क्षेत्र

पश्चिम दिशा

- चिड़ियाघर की पार्किंग, कैंटीन के पास बगीचे की जगह, झील और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के कर्मचारियों के लिये पार्किंग के साथ घनी रोपित प्रतिरोधी क्षेत्र (बफर ज़ोन) इस दिशा में मौजूद हैं।

दक्षिण-पश्चिम दिशा

- प्राणी उद्यान का एक हिस्सा इस दिशा में स्थित है जो इस क्षेत्र को भारी प्रतिरोधी क्षेत्र (बफर जोन) बनाता है। प्राणी उद्यान के अंदर इस क्षेत्र में दो प्राकृतिक झीलें भी मौजूद हैं।
- सुंदर नगर आवासीय क्षेत्र की ओर, इस दिशा में सार्वजनिक पार्क है।

उत्तर-पूर्व दिशा

- इस दिशा में प्रगति मैदान हॉल संख्या 2,3,4,5 के परिदृश्य उद्यान हैं।

दक्षिण-पूर्व दिशा

- राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का एक हिस्सा इस दिशा में स्थित है।

उत्तर दिशा

- ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के खुले स्थान और इसका बस स्टॉप इस दिशा में स्थित है।

5.1.4 परिसंचरण सड़कों, पैदलपथों (फुटपाथ्स) आदि के अंतर्गत आवरणक्षेत्र

I सड़क

यहाँ पर दो प्रकार की सड़कें हैं- डामर (बिटुमेन) और आर.सी.सी. सड़कें।

क) डामर (बिटुमेन) सड़क

i. डामर (बिटुमेन) रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल संरक्षित क्षेत्र 4833.612 वर्ग मीटर है।

ii. डामर (बिटुमेन) रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 19390.747 वर्ग मीटर है।

iii. डामर (बिटुमेन) रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल विनियमित क्षेत्र 58893.268 वर्ग मीटर है।

ख) आर.सी.सी. सड़कें

i. आर.सी.सी. रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल संरक्षित क्षेत्र 6139.565 वर्ग मीटर है।

ii. आर.सी.सी. रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 660.230 वर्ग मीटर है

iii. आर.सी.सी. रोड द्वारा आवृत्त किया गया कुल विनियमित क्षेत्र 5012.724 वर्ग मीटर है।

II पैदलपथ (फुटपाथ)

i. पैदलपथ (फुटपाथ) द्वारा आवृत्त किया गया कुल संरक्षित क्षेत्र 1203.326 वर्ग मीटर है।

ii. पैदलपथ (फुटपाथ) द्वारा आवृत्त किया गया कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र 6802.221 वर्ग मीटर है

iii. पैदलपथ (फुटपाथ) द्वारा आवृत्त किया गया कुल विनियमित क्षेत्र 7159.322 वर्ग मीटर है।

5.1.5 इमारतों की ऊँचाई क्षेत्रवार (जोनवाइज)

- पूर्व: अधिकतम ऊँचाई 18.5 मीटर (राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र) है।
- पश्चिम: अधिकतम ऊँचाई 21.0 मीटर (खैरूल-मनाजिल मस्जिद) है।
- उत्तर: अधिकतम ऊँचाई 06.0 मीटर (मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम) है।
- दक्षिण: अधिकतम ऊँचाई 09.69 मीटर (सुंदर नगर आवासीय क्षेत्र) है।

5.1.6 प्रतिषिद्ध /विनियमित क्षेत्र के भीतर राज्य संरक्षित स्मारक और यदि उपलब्ध हो तो स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा सूचीबद्ध भवन:

दिल्ली सरकार के एन.सी.टी. के पुरातत्व विभाग के अनुसार, निम्नलिखित संरचनाएँ संरक्षित हैं:

1. अज़ीमगंज की सराय (राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर)
2. मकबरा (राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर)
3. मकबरा (चिम्पांजी गुफा के पास राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर)

5.1.7 जन सुविधाएँ:

पुराना किला पर प्रकाश व्यवस्था (इलूमिनेशन), ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम (लाइट एंड साउंड शो), शौचालय, पीने का पानी, ढलाव (रैंप), सांस्कृतिक सूचना बोर्ड, सार्वजनिक सूचना बोर्ड, ब्रेल, वाई-फाई आदि सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

5.1.8 स्मारक तक पहुँच:

I हवाई अड्डे

- पुराना किला से दिल्ली आई.जी.आई. हवाई अड्डा (टर्मिनल1) की कुल दूरी 16.4 कि.मी. है।
- पुराना किला से दिल्ली हवाई अड्डा (टर्मिनल3) की दूरी 20.7 कि.मी. है।
- पुराना किला से दिल्ली हवाई अड्डा (टर्मिनल2) की दूरी 22.9 कि.मी. है।

II रेलवे

- निकटतम रेलवे स्टेशन हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन (5.2 किमी) है।
- दिल्ली रेलवे स्टेशन (5.7 कि.मी.), पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (10.2 कि.मी.), दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन (10.3 कि.मी.), दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन (10.9 कि.मी.) और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन (15.2 कि.मी.) अन्य रेलवे स्टेशन हैं।

III मेट्रो स्टेशन

- पुराना किला के लिए निकटतम मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से पुराना किला की दूरी 2.2 कि.मी. है। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन और पुराना किला के बीच की दूरी 2.8 कि.मी.है।

IV बसें

- निकटतम बस टर्मिनल सराय काले खान बस टर्मिनल (8.2 कि.मी.), आई.एस.बी.टी. आनंद विहार (11.3 कि.मी.) और आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट (13.2 कि.मी.) हैं।
- दिल्ली परिवहन निगम नियमित रूप से पुराना किला के लिए बसों का संचालन करता है।

V स्थानीय परिवहन

- पर्यटक परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से पुराने किले का दौरा कर सकते हैं। किले तक पहुँचने के लिए वे ऑटो रिक्शा, टैक्सी और स्थानीय बसों का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑटो रिक्शा और कैब सेवाएँ दिल्ली में आसानी से उपलब्ध हैं।

VI सड़कों द्वारा

- मथुरा रोड द्वारा (एन.एच. 2) और (एन.एच. 44)
- भैरों मार्ग द्वारा

5.1.9 अवसंरचनात्मक सुविधाएं जल आपूर्ति), वर्षा के पानी की निकासी, मल प्रवाह, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि:

किला परिसर के अंदर जल वितरण, पार्किंग,मल प्रवाह पद्धति संयंत्र (सीवेज प्लान्ट), शौचालय, जल शोधन संयंत्र, (वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट) वाटर कूलिंग मशीन, वाटर टैंक, गार्ड रूम, पंप हाउस, लाइब्रेरी आदि उपलब्ध हैं।

5.1.10 स्थानीय निकायों के दिशा निर्देशों के अनुसार क्षेत्र के प्रस्तावित क्षेत्रीकरण (जोनिंग)

पुराना किला दिल्ली मुख्य योजना 2021 की क्षेत्र-वार्ड D क्रमांक 55-S के अंतर्गत आता है।

अध्याय VI

स्मारक का स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.0 स्थापत्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

एक प्राचीन टीले पर बना पुराना किला दिल्ली की सबसे पुरानी बसावटों में से एक है। माना जाता है कि यह स्थल, महाकाव्य महाभारत में वर्णित महान इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रपत) को दर्शाता है। वर्षों से हुई विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों ने मौर्यकाल से प्रारंभिक मुगल काल तक निरंतर स्तरीकरण दिखाया है। पुराना किला की योजना अनियमित एवं आयताकार है, जिसके चारों ओर किलेबंदी है। किलेबंदी और दरवाजों के निर्माण का श्रेय हुमायूं को दिया जाता है, जबकि पुराना किला के अंदर मौजूद अधिकांश संरचनाओं को शेरशाह सूरी ने बनाया है।

किला तीन दिशाओं से एक परिखा से घिरा हुआ था, पूर्व में यमुना नदी से जुड़ा था। इस परिखा के अवशेष अभी भी किले के उत्तर पश्चिमी भाग में देखे जा सकते हैं। किले के प्रवेश द्वारों की पहुँच मुख्य भूमि से एक चलसेतु के माध्यम से थी। पुराना किला में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित तीन दो मंजिला आलीशान द्वार हैं जो तीन दिशाओं में हैं। पश्चिमी ओर के द्वार को बड़ा दरवाज़ा (मथुरा रोड के सामने) के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग वर्तमान में किले के प्रवेश द्वार के लिए किया जा रहा है। अन्य दो द्वार, हुमायूँ दरवाजा और तलाकी दरवाजा क्रमशः दक्षिणी और उत्तरी दिशा में स्थित हैं।

6.1 स्मारक की संवेदनशीलता (अर्थात विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि)।

स्मारक परिखा क्षेत्र (शेष भाग को झील के रूप में विकसित किया गया है) से घिरा हुआ है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर दो झील वनस्पति और जल निकायों की

एक मोटे प्रतिरोधी क्षेत्र को शहरीकरण और विकास के दबाव से सुरक्षित किया जाना चाहिए। । सुंदर नगर और जे.जे. कॉलोनी का कुछ भाग स्मारक के आसपास के क्षेत्र में एकमात्र आवासीय क्षेत्र हैं, जिससे यह क्षेत्र कम आबादी वाला है।

6.2 संरक्षित स्मारक अथवा क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

पुराना किला एक ऊँचे टीले पर स्थित है और इसलिए, आसपास के अधिकांश क्षेत्र स्मारक से दिखाई देते हैं और स्मारक स्वयं प्रगति मैदान, मथुरा रोड और भैरों मार्ग से दिखाई देता है।

6.3 भूमि के उपयोग की पहचान

दिल्ली मुख्य योजना (मास्टर प्लान) 2021 के अनुसार, स्मारक के आसपास के अधिकांश क्षेत्र मनोरंजन भूमि उपयोग के अंतर्गत आते हैं जिसमें स्मारक तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भी शामिल हैं। सुंदर नगर आवासीय भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है और प्रगति मैदान सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है।

6.4 संरक्षित स्मारकों के अतिरिक्त पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

1955 में, पुराना-किला के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में हुई खुदाई में चित्रित धूसर मृदभांड के ठीकरे पाए गए, जो महाभारत के स्थल से संबंधित थे। जिनकी तिथि एक हजार ई. पू. मानी गई है ऐसे विशिष्ट मृदभांडों की प्राप्ति यहाँ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ होने का संकेत देती है। 1969 में उत्खनन पथ के किनारे पूर्वी द्वार में स्थित जल द्वार तक फिर से शुरू किया गया और 1973 तक चला मौर्य काल से प्रारंभिक मुगल काल तक एक सतत् स्तरीकरण प्राप्त हुआ। चित्रित धूसर मृदभांड (पी.जी.डब्लयू) के अवशेष बाद के जमाव में कहीं कहीं मिले हैं। मौर्य काल (300 ई.पू.) के साक्ष्य उत्तरी काला ओपदार मृदभांड जो ओपदार सतह लिये हुये कड़ा मृदभांड होता है, आहत सिक्के, मानव तथा पशु टेराकोटा की मूर्तियाँ, अभिलिखित टेराकोटा की सील द्वारा प्रमाणित होते है। मृत्तिका वलय से आच्छादित सोख्ता कुएँ एवं जली हुई ईंटे भी प्राप्त हुई हैं यद्यपि अधिकांश आवास मिट्टी की ईंटों या ठाठ या लिपाई के बने हैं, लकड़ी के स्तंभो से सुद्रढ़ किया गया है।

शुंग काल (200-100 ई.पू.) के दौरान उत्तरी काला ओपदार मृदभांड सादे लाल मृदभांडों के साथ प्रचलित रहा। अनगढ़ित पत्थरों की नींव पर स्थानीय अनगढ़ित पत्थरों या मिट्टी की ईंटों द्वारा मकानों को बड़े पैमाने पर बनाया गया था। मिट्टी को अच्छी तरह कूटकर एवं मिट्टी की ईंटों से फर्श को बनाया गया था। इस काल की विशिष्ट कला, जो लोगों की धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है, उनका चित्रण छोटी टेराकोटा तख्तियों (प्लेक्स) से, अर्ध-दैवीय सत्ता (यक्ष और यक्षणियों) का प्रतिरूपण (मॉडलिंग) होता है। मथुरा के राजाओं के बिना लेख वाले सिक्के और टेराकोटा मुद्रांक भी इन स्तरों में पाए जाते हैं।

मुद्रांकित सजावट अगले शक-कुषाण काल के लाल मिट्टी के बर्तन को चिह्नित करती है (100 ई.पू.-300ई.) इस अवधि के कालक्रम का ठोस प्रमाण यौधेय और कुषाणों की ताँबे की मुद्राओं द्वारा प्रदान किया गया है। पकी हुई ईंटों का बढ़ता उपयोग अब बसावट को शहरी रूप देता है।

आश्चर्यजनक रूप से, अगले गुप्त काल के स्तरों में (300-600 ई.) जिन घरों के अवशेष प्राप्त हुये है, वे ईंटों के टुकड़ों से बने हैं। एक सोना चढ़ाया हुआ सिक्का जिसके अग्रभाग मे धर्नुधर का अंकन एवं पृष्ठ भाग में श्री- विक्रम अभिलेख है नि:संदेह गुप्त शासकों से संबंधित है। अभिलिखित मुहरों और खूबसूरती से तैयार मानव मूर्तियॉ इस अवधि की अन्य विशिष्ट वस्तुएं हैं। लाल मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियॉ और सुंदर किन्तु खंडित प्रस्तर की मूर्तियॉ उत्तर गुप्तकाल (700-800 ई.) के दौरान स्थल पर बसावट के संकेत देती हैं।

राजपूत काल के अंत में (900-1200 ई.) में एक विशाल अनगढ़ित पत्थरों की दीवार खड़ी की गई थी, जो कि नगर के एक हिस्से को घेरती थी। हालाँकि मकानों का निर्माण अनगढ़ित पत्थरों, ईंटों के टुकड़ों- और मिट्टी की ईंटों से किया जाता रहा। मृदभांडों में कुछ विशिष्ट बदलाव नहीं आया था। सामंत देव सहित बैल और घुडसवार प्रकार के सिक्के भी इन स्तरों से प्राप्त किए गए हैं।

इसके पश्चात सल्तनत शासन (1206-1526) के दौरान, अनगढ़ित पत्थरों और ईंटों के टुकडों का इस्तेमाल साधारण घरों के लिए किया जाता था। यह काल मध्य एशिया तथा स्थानीय निर्माताओं द्वारा काचित बर्तनों के प्रारंभ का प्रमाण देता है। बलबन (1266-1286) और मुहम्मद बिन तुगलक (1325-51) के सिक्के इन स्तरों में पाए गए हैं। प्रारंभिक मुगल काल (1526-1556) की विशिष्ट और आकर्षक वस्तुएं, एक अवशिष्ट ढेर से मिली थीं जो बाबर, सूर और हुमायूँ के शासन काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंड कवच से पतला धूसर मृदभांड (ग्रे वेयर) के जार,काचित बर्तन और चित्रित चीनी मिट्टी के बर्तन, जिनमें से एक 'चीनी चेंग हुआ युग (1465-87) के महान मिंग राजवंश में बनाया गया' अभिलेख है। एक अन्य टुकड़े पर एक परी कथा चीनी कविता में अंकित है। अन्य दिलचस्प वस्तुओं में कांच की शराब की बोतलें, पन्ना और मोती के साथ सोने की एक कान की बाली और आदिल शाह सूर (1552-53) का एक सिक्का शामिल था।

6.5 सांस्कृतिक परिदृश्य:

किला तीन तरफ से एक परिखा से घिरा हुआ था, जो पूर्व में यमुना नदी से जुड़ी थी, जो इस सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हालांकि, यमुना नदी अब अपने तट को स्थानांतरित कर चुकी है और परिखा के अवशेष पश्चिम दिशा में एक झील के रूप में विकसित हैं।

6.6 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक की रक्षा करने में भी मदद करते हैं:

स्मारक परिखा क्षेत्र (अब एक झील के रूप में विकसित किया गया है) से घिरा हुआ है, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के अंदर दो झीलें हैं जो वनस्पति और जल निकायों की एक मोटे प्रतिरोधक के साथ प्राकृतिक परिदृश्य का निर्माण करती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण से स्मारक की रक्षा करती है।

6.7 खुले स्थान का उपयोग और निर्माण-कार्य:

पुराना किला का संरक्षित क्षेत्र 90% खुला स्थान है ,जिसमें करीने से सँवारा हुआ परिदृश्य उद्यान (लैंडस्केप गार्डेन) शामिल हैं, जिन्हें पिकनिक स्पॉट के रूप में जनता द्वारा उपयोग किया जाता है। इस स्थान का उपयोग पर्यटन विभाग द्वारा लाइट एंड साउंड शो के लिए भी किया जाता है। पुराना किला की झील, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (नेशनल जूलॉजिकल पार्क), प्रगति मैदान के परिदृश्य उद्यान (लैंडस्केप गार्डन), ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और सुंदर नगर में एक सार्वजनिक पार्क स्मारक के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में खुले स्थानों को दर्शाता है।

6.8 परंपरागत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यकलाप

पर्यटन विभाग हर शाम प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम (लाइट एंड साउंड शो) का आयोजन करता है, जो हिंदी और अंग्रेजी में पुराना किला के इतिहास को प्रदर्शित करता है।

सर्दियों में, पुराना किला के परिसर में गज़ल व संगीतमय संध्याएँ भी आयोजित की जाती हैं।

6.9 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दिखाई देने वाला क्षितिज:

स्मारक से स्पष्ट क्षितिज दिखाई देता है और स्मारक भी विनियमित क्षेत्र से दिखाई देता है।

6.10 स्थानीय वास्तुकला:

स्मारक के आसपास के परिवेश में किसी भी प्रकार की क्षेत्र विशेष वास्तुकला की कोई भी प्रचलित विशेषता नहीं देखी गई है।

6.11 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध विकासात्मक योजना

दिल्ली मुख्य योजना (मास्टरप्लान) 2021 के अनुसार, क्षेत्रीय विकास योजना की तालिका 2 में उप-क्षेत्र- D7 के रूप में पुराना किला को मई, 1981 में अधिसूचित किया गया था।

6.12 भवन संबंधी पैरामीटर:

(क) स्थल पर निर्माण की ऊंचाई (सभी समावेशित):

स्मारकों के विनियमित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभी संरचनाओं की ऊंचाई 18 मीटर तक सीमित होगी।

(ख) तल क्षेत्र:दिल्ली मुख्य योजना, 2021 (एमपीडी) के अनुसार।

(ग) उपयोग:-दिल्ली मुख्य योजना, 2021 (एमपीडी) के अनुसार।

(घ) भवन के प्रवेश की बनावट (फसाड डिजाइन): -

- लूवर के साथ निरंतर खिड़कियों की अनुमति नहीं होगी।
- सड़क के अथवा सीढ़ियों के सामने कॉच के अग्रभाग की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) छत की बनावट: -

क्षेत्र में समतल छत की डिजाइन का पालन किया जाना है।

- भवन की छत पर संरचनाएँ, यहाँ तक कि अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- छत पर सभी सेवाओं जैसे कि एक बड़ी एयर कंडीशनिंग यूनिट, पानी की टंकी या बड़े जनरेटर सेट पर दीवाल के आवरण (ईंट/सीमेंट की शीट आदि) का उपयोग किया जाना चाहिये।

(च) इमारत सामग्री:-

- स्मारक के 100 मीटर के दायरे में गलियों की ओर बने सभी भवनों के अग्रभागों में सामग्री और रंग में समरूपता होनी चाहिये। आधुनिक सामग्री जैसे कि एल्यूमीनिय मक्लैडिंग, ग्लास ईंट, और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री को बाह्य परिष्करण की अनुमति नहीं होगी।
- पारंपरिक सामग्री जैसे ईंट, सीमेंट प्लास्टर और पत्थर का उपयोग किया जाना चाहिए।

(छ) रंग:- स्मारकों के साथ सामंजस्य में बाहरी रंग का प्रयोग न्यूट्रल टोन में किया जाना चाहिए।

6.13 :- पर्यटक सुख- सुविधाएं

पुराना किला में व्याख्या केंद्र,कैफेटेरिया,स्मारिका शॉप,दृश्य श्रव्य केंद्र की सुविधाएँ होनी चाहिये।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट संस्तुतियाँ

7.0 स्थल विशिष्ट अन्य संस्तुति।

- पर्यटकों के लिए पीने के पानी, डस्टबिन और शौचालय की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए।
- व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
- निर्धारित मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान प्रदान किए जाएँगे।
- इस क्षेत्र को प्लास्टिक और पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
National Monuments Authority

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye- laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following draft Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monuments "Purana Qila", prepared by the Competent Authority and in consultation with the the Indian National Trust for Art and Culture, are hereby published as required by Rule 18, sub-rule (2) of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Member Secretary, National Monuments Authority (Ministry of Culture), 24 Tilak Marg, New Delhi or email at helpdesk.nma@gmail.com within thirty days of publication of the Notification;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft bye-laws before the expiry of the period, so specified, shall be considered by the National Monuments Authority.

Draft Heritage Bye-Laws

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.0 Short title, extent and commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monuments Authority Heritage bye-laws 2019 of Centrally Protected MonumentsPurana Qila.

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.1 Definitions: -

(1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires, -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) The remains of an ancient monument,
(ii) The site of an ancient monument,
(iii) Such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) The means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes-

(i) Such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) The means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means and officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "Competent Authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply or water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "floor area ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means The Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "preservation" means maintaining the fabric of a place in its existing and retarding deterioration.

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

(2) The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological sites and remains (AMASR) Act, 1958

2.0Background of the Act:-The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The 300m area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of DG, ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.1 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws: The AMASR Act, 1958, Section 20E and Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other function of the Competent Authority) Rules 2011, Rule 22, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. The National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, Rule 18 specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.2 Rights and Responsibilities of Applicant: The AMASR Act, Section 20C, 1958, specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director-General and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument Purana Qila

3.0 Location and Setting of the Monument:-

- The monumemnt is located at**Long. 28°36'33" N; Lat. 77°14'34" E** GPS Coordinates.

- The Purana Qila or Old Fort is located on Mathura Road, about 2 km north of Humayun's Tomb. It was built on a rocky surface on the RIGHT bank of river Yamuna which now has shifted its course about one km away from it in the eastern direction.

- On the southern edge of Purana Qila is the National Zoological Park which spreads across 240 acres. On the northern side of the fortress are Pragati Maidan, Crafts Museum, National Science Centre and sites of religious importance: Matka Pir and the Dargah whileBhairon Mandir is located in the eastern direction of Purana Qila. The Khairul Manazil mosque and Lal Darwaza are located across Mathura Road, west of Purana Qila.

'Fig 1, Google map showing location of Centrally Protected Monuments of Purana Qila, Delhi

3.1 Protected boundary of the Monument:

The location and protected boundary of the Centrally Protected Monument,**" Purana Qila"** may be seen at Map-1, Annexure-IV.

3.1.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Gazette Notification number of Purana Qila is: 9058 Education Dated 19.01.1918

[Copy of Notification may be seen at Annexure-I.]

3.2 History of the Monuments/Site:

One of the most ancient settlements of Delhi, the Purana Qila is built on the ancient mound which is believed to represent the site of Indraprastha (Indrapat) mentioned in the great epic Mahabharata. Local traditions and legends speak of the Pandavas ruling at Indraprastha for thirty-six years.

As per the Buddhist texts, it was ruled by kings belonging to "Yuddhitthila golta" and in the Buddha's time by chieftain named Koravya. Evidences of the painted grey ware (PGW) have been found from the accumulation at site which was an important part of Kuru Janapada,

Evidences of the Mauryan period (c.300 BCE), Sunga Period (c.200-100 BCE), Saka-Kushan Period (c.100 BCE- 300 CE), Gupta Period (c.300-600 CE), Post Gupta Period (c.700-800 CE), Rajput Period (c.900-1200 CE), Sultanate Rule (1206-1526 CE) and early Mughal Period (1526-1556 CE) have been found in the Purana Qila during the excavations by Archaeological Survey of India since 1969.

Shams-i-Siraj Afif, writer of Tarikh-e-Firuzshahi (13th Century) mentions Indraprastha being the headquarter of a Pargana (district). Abul Fazal in his Ain-e-Akbari (16th Century) states that Delhi, one of the greatest cities of antiquity was first called Indrapat.

In the second quarter of sixteenth century, the second Mughal Emperor Humayun decided to make a city of his own and he selected this site having an ancient mound for his citadel. He laid the foundation of Dinpanah, the sixth city of Delhi in July 1533 CE. Due to constant struggle with provincial governors, he could not complete the construction and only fortification and gates of the citadel were erected. Sher Shah, a ruler of eastern India (Bihar & Bengal) became the Emperor of Delhi after defeatingHumayun in 1539-1540 CE. He renamed the city as Shergarh after completing the fort and adding several new buildings

3.3 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

Purana Qila, an irregular oblong on plan is surrounded by a fortified wall. Its eastern and western sides measuring 707 m (2320 feet) and 622m (2040 feet) respectively are longer than the northern side measuring 355 m (1164 feet) and southern side measuring 221 m (725 feet). The fortification wall, about 1.90 km in circumference is pierced with wickets (*khirkis*) and gates in which three *khirkis* are built in eastern wall and one in western wall which has nowbeen closed. The rubble masonry walls are terminated at each corner by

massive bastions. Originally, all these double storied bastions were crowned with *chhattris*, like the bastion of Western Gate. The fort was surrounded by a moat on three sides, connected with river Yamuna on the east. The remains of the moat can still be seen in north western part of the fort. The access to the gateways of the fort was through a causeway or draw bridge from the main land. In the last decade of the 19th century an embankment and ramp were made for the entrance to the Western Gate. The fort has three double storeyed gateways in three directions except the eastern side. The gate on the western side is known as Bara Darwaza which is being used for the entrance to the fort. The other two gates Humayun Darwaza and Talaqi Darwaza are in the southern and northern direction respectively. The significant heritage structures within the Purana Qila Fort are:

i) Qila-e-Kuhna Masjid

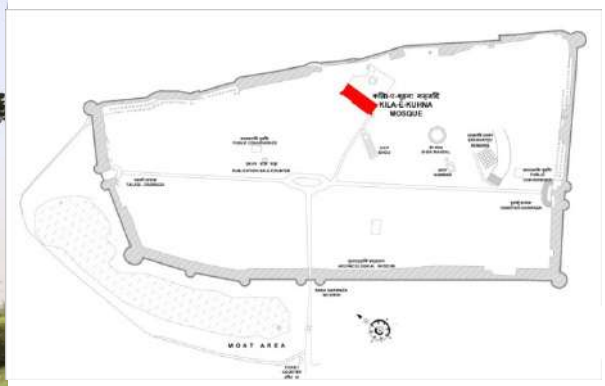

Key Map of Qila-e-Kuhna Masjid

Built by Sher Shah in 1541 CE, the Qila-e-Kuhna Masjid is an important landmark in the history of Indo-Islamic architecture. It was earlier known as Jami Masjid built for the Sultan and his royal courtiers to attend their Friday prayer. Constructed with red sandstone and marble, it consists of an oblong prayer hall (51 X 15 m), having five openings with arches. The 16.67 m (54'7") high central arch is flanked by narrow fluted pilasters. These are exclusively decorated with concentric arches of white and black marble.The recessed surface of the arch, through which there is an opening is decorated with inlay of marble and other stones and contains a small oriel window at its apex.The two arches on either side are similarly treated but with less of ornamentation.

This mosque occupies an important position in the development of the mosque architecture, exemplifying the transition from the Lodi to the Mughal styles. The façade of five arches, oriel windows and corner towers at the rear are features which have developed from the earlier mosques such as the Bada Gumbad Masjid, Moth Masjid and Jamali Kamali masjid.

ii) Sher Mandal

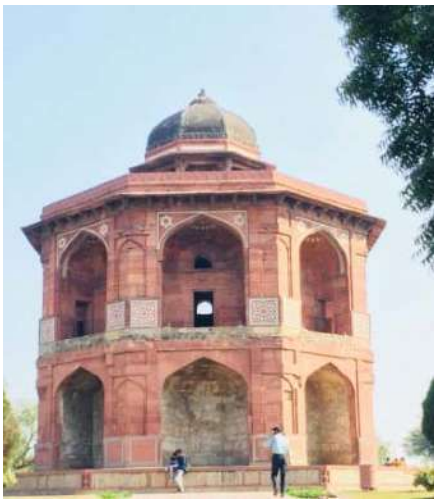

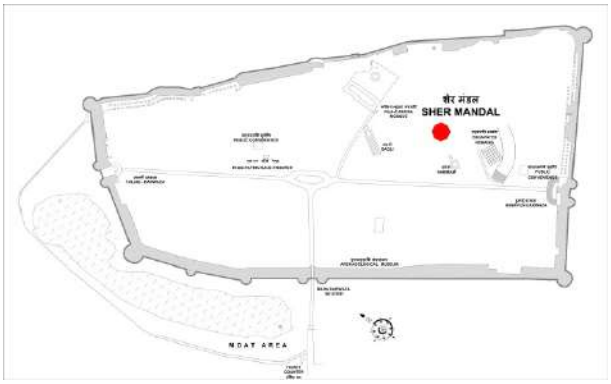

Key Map of Sher Mandal

The Sher Mandal is the only surviving palace building in the citadel. The two storeyed octagonal structure represents Timurid-Safawid pavilion type. The Sher Mandal is 18.28 m (60 feet) high with a maximum diameter of 15.84 m (52 feet). This double storeyed building stands on a 1.21 m (4 feet) high plinth and is made of red sandstone with marble ornamentations. It was constructed by Sher Shah in 1541 CE as a pleasure pavilion. After recapturing Delhi in 1555, Humayun used it as his library and this is the place where Humayun fell to his death in 1556. The tower is surmounted by an octagonal *chhattri.*

The cruciform interior of the upper storey is connected by axial passages to four of the outer eight niches which are linked in turn so as to form an ambulatory. The inner dome and the arch netting of the vaults is also of Timurid inspiration. The structure is clad in local red sandstone and crowned with a chatri (small domed kiosk), a typical feature of Indian (Sultanate) architecture.

iii) Baoli:

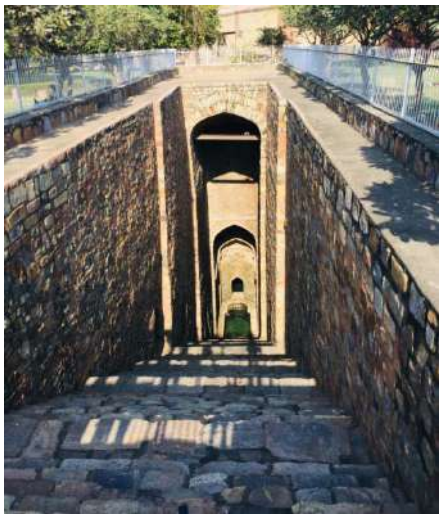

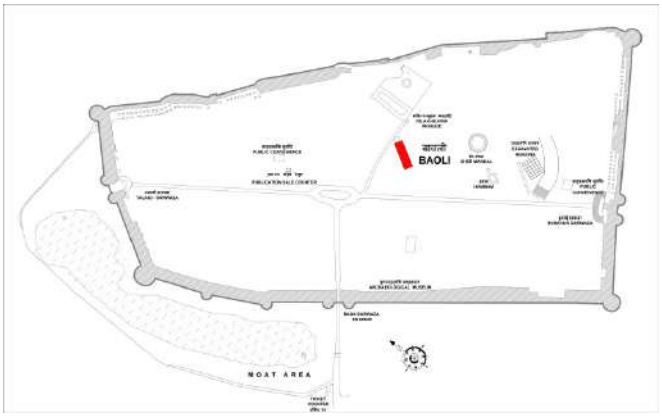

Key Map of the Baoli

The Baoli, a large stepped well is situatedto the south-west of the mosque. Since the fort was built on a high ground, the ground water level was very deep. So, the Baoli

was constructed to provide the water facility for the fort. Its roof was constructed with a series of gradually receding arches. It has eighty-nine steps and eight landings. Its northern extreme terminates into a circular well.

iv) Hammam

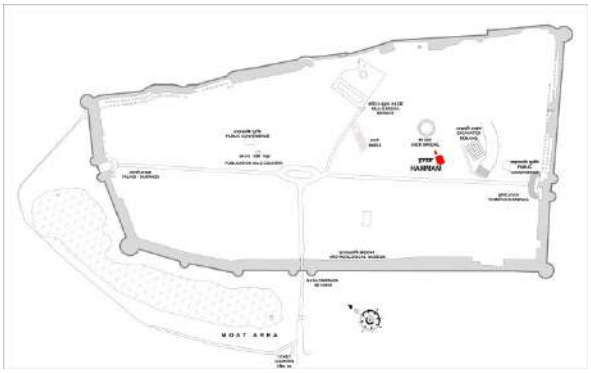

Key Map of the Hammam

The Hammam built of Lakhauri bricks, now in a ruined condition is situated towards south-west direction of Sher Mandal. Over the years it was covered by some other structures and it came to light in 1913during the clearance of Indrapat village and conservation work of the site undertaken by Archaeological Survey of India. The remains of terracotta pipes and water chute can still be seen around a 3.20 m (10'5") square room.It is a square, low building constructed ofLakhauri bricks. Earthenware pipes originally used to carry water through the hammam can still be seen in places. The interior of the hammam also includes a chute in one of the walls.

v) Humayun Gate

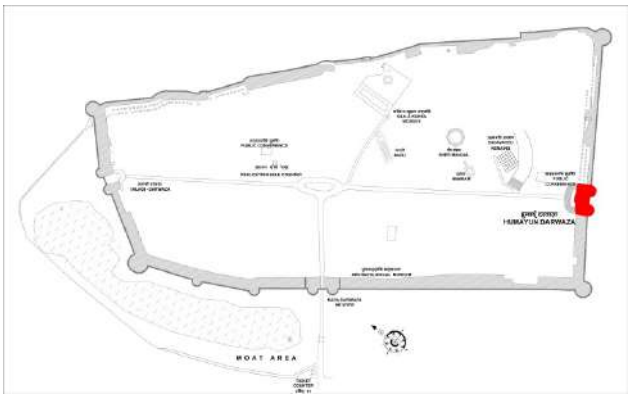

Key Map of the Humayun Gate

The Humayun Gate is the south gate of Purana Qila which is facing the National Zoological Park and Humayun's Tomb. The double storied gateway constructed of red sandstone is flanked by two semi-round bastionandhave been embellished with white marble decorations.

vi) Talaqi Darwaza

The Talaqi Darwaza is the northern gate of Purana Qila and is considered as one of the most striking part of the Fort. Talaqi Darwaza means the meeting gate. However, it is generally referred to as "the forbidden gate". The lofty gateway made up of red and grey sandstone is 17 m (56'2") high and 4.54 m (14'9") wide.

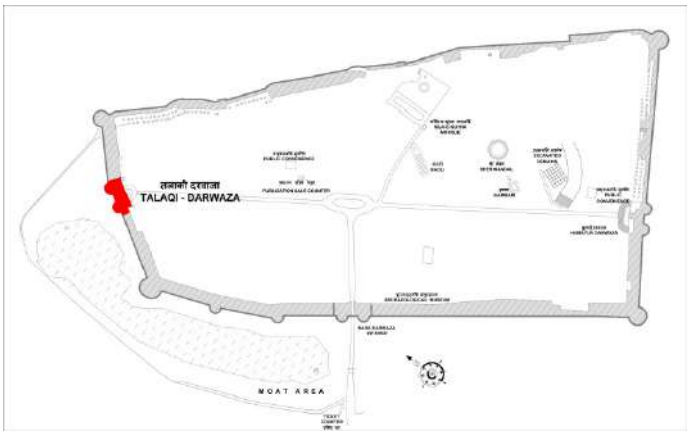

Key Map of the Talaqi Darwaza

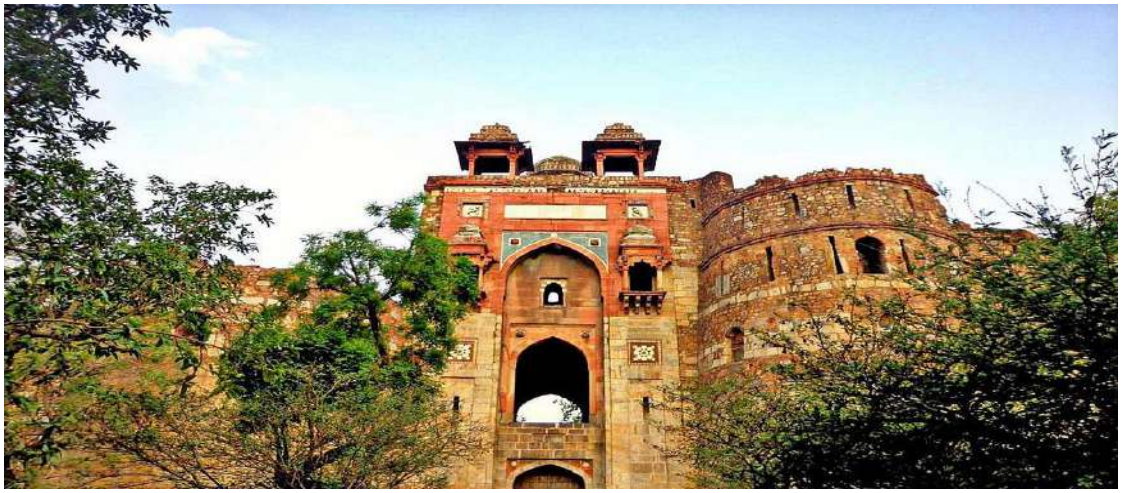

vii) Bada Darwaza

The Bada Darwaza, now the only entrance to Purana Qila, was built in 1533-4 CE. It is accessed through an elevated road which is opposite Mathura Road. The present access road to Bara Darwaza was constructed only in the early 1900's; prior to it, drawbridges spanned the moat that encircled Purana Qila.

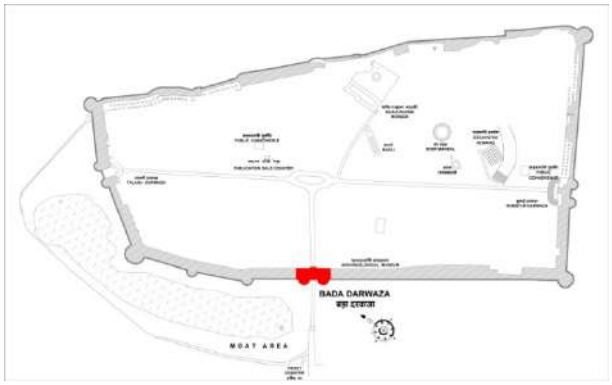

Key Map of the Bada Darwaza

The Bada Darwaza is a three storeyed structure with two massive bastions made of rubble masonry. The ornamentation of the bastions (one of them has a chhatri – a small domed pillared pavilion – on top) are of inlay work, carving and tile work. The gate is clad with deep red sandstone with inlay of white and greyish black marble. Two six-pointed stars are inlaid on each side of the main arch of Bada Darwaza. The second storey of the gate is pierced by three openings, of which the two outer ones are fronted by *jharokhas* (oriel windows) with tilework in blues and green. If you look closely, you'll be able to see traces of similar tilework on the chhatri that surmounts the bastion next to the gate. The vaulted rooms on the inside were once used as guardrooms

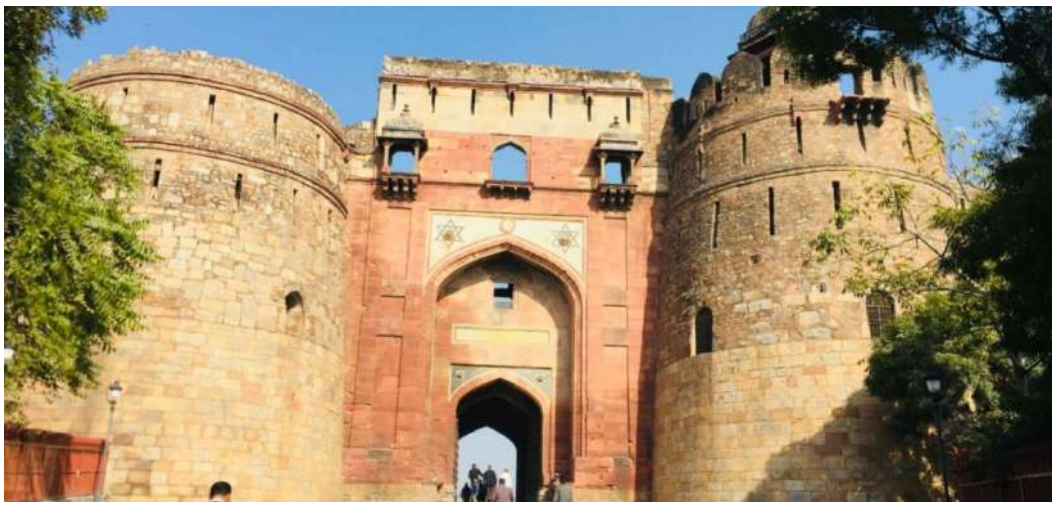

3.4 CURRENT STATUS

3.4.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The monument is in good state of preservation. Recent photographs of the monument and its surroundings may be seen at **Annexure II**.

3.4.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

Purana Qila is a ticketed monument, approximately 7241 International Tourists and 10,22,774 Domestic Tourists visit the site annually.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.0 Existing zoning:

The location of the monument has a significant impact on the development around it which has been taken into consideration in the Master Plan and the zonal plans of the city. In Master Plan 2021, this area has been designated as one of the six heritage zones of Delhi and Purana Qila is also a part of the Indraprastha Archaeological Park by Delhi Development Authority.

The Zonal Plan D of the Delhi Development Authority lists down 52 monuments. Purana Qila/ Old Fort is one of the 52 monuments in their list. Purana Qila lies in ward number 55-S of Municipal Corporation of Delhi.

[Map of Ward No. 55-S and Zonal Plan D may be seen at Map-4and Map-5 respectively in Annexure-IV]

4.1 Existing Guidelines of "Delhi Master Plan 2021 may be seen at Annexure-III"

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of theProhibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.0 Contour Plan of Purana Qila, Delhi

Survey Map and Contour Map of Purana Qila may be seen at Map-2 and Map-3 respectively of Annexure-IV

5.1 Analysis of surveyed data:

5.1.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

- Total Protected Area of the monument is **203,164.333 sq. m.**
- Total Prohibited Area of the monument is **224,398.189 sq. m.**
- Total Regulated Area of the monument is **634,846.554 sq. m.**

5.1.2 Description of built up area

Protected Area

- Purana Qila meuseum, publication sale counter and public conveniences are located inside the Protected boundary of the monument.
- Kunti Devi Temple is situated inside the Protected Area of the Monument in the south-west direction.
- The National Building Construction Corporation (NBCC) is constructing an amenity block along with an interpretation centre.

Prohibited Area

- Purana Qila moat, redeveloped in 1971-72 as a boating spot in the south-east direction.
- Bhairon Temple or Kilkaari Baba Bhairav Naath Mandir is located outside of the Purana Qila opposite Pragati Maidan in the east direction.
- A part of Mathura road and Bhairo Marg comes under the Prohibited Area in North direction.

Regulated Area

North Direction

- The Matka Pir Masjid, foot over bridge on Mathura road, part of Pragati Maidan, Bhairon Marg are in this direction.
- Unauthorized/encroached JJ Colony (total area covered by JJ Colony is 5968.108 sq.m.), railway line near JJ colony, Zoological park and a part of Drain also exists in this direction.

North- East Direction

- NBCC is undertaking new construction opposite Bhairon Marg which comes under the Regulated Area in this direction.
- Pragati Maidan, DTC Pragati Maidan Bus Terminal, International Business Lounge, National Handicrafts &Handlooms Museum and the National Science Centre lies in this direction.
- In this direction, redevelopment of Pragati Maidan is envisaged in two phases. Phase-1 redevelopment is expected to complete by May 2019 which includes the construction of a convention center with seating capacity of 7,000 persons

East Direction

- In this direction, Shree Sheetla Chandi Kaali Prachin Mandir on Bhairon Marg is in the Regulated area.

South Direction

- A major part of National Zoological Park lies this direction.
- The Railway Track also lies in this direction.

South- West Direction

- Some part of Sunder Nagar residential area lies in this direction
- Ticket counter, Zoo administrative building, parking area for visitors and a Canteen also lie in this direction.

West Direction

- A part of Khairul Manzil Masjid and Sher Shah Gate (Centrally Protected Monuments) are located on the opposite side of the Mathura Roadin the Regulated Area of Purana Qila.

North- West Direction

- Major Dhyan Chand National Stadium and its Swimming Pool lies in this direction.

5.1.3 Description of green/open spaces

Protected Area

- The Protected Area of Purana Qila, 90% is the open space which consists of well-manicured and landscape gardens, used by public as a picnic spot. This space is also used by the Tourism Department to host Light and Sound Show.

Prohibited Area

- In the west direction of the monument, a part of the lake of the Purana Qila exists.
- A part of Zoological Park lies in the Prohibited Area in the south-west direction of Purana Qila.

Regulated Area

West Direction

- The Zoo parking, garden space near the canteen, lake and ASI staff parking with densely planted buffer zone exists in this direction.

South-West Direction

- A part of Zoological Park lies in this direction making this area as a heavy buffer zone. Two natural lakes are also present in this area inside the Zoological Park.
- Towards the Sunder Nagar residential area, there is public park in this direction.

North-East Direction

- The landscaped gardens of Pragati Maidan Hall no 2,3,4,5 lie in this direction.

South-East Direction

- A part of National Zoological Park lie in this direction.

North Direction

- Open Spaces of Dhyan Chand National Stadium and its bus stop lies in this direction.

5.1.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.

I. Roads

There are two types of Roads- Bitumen and RCC roads.

a) Bitumen Roads

i. Total Protected Area covered by Bitumen Road is 4833.612 sq. mt.
ii. Total Prohibited Area covered by Bitumen Roads is 19390.747 sq. mt.
iii. Total Regulated Area covered by Bitumen Road is 58893.268 sq.mt.

b) RCC Roads

i. Total protected area covered by RCC Road is 6139.565 sq. mt.
ii. Total Prohibited Area covered by RCC Road is 660.230 sq. mt
iii. Total Regulated Area covered by RCC Road is 5012.724 sq. mt.

II. Footpath

i. Total Protected Area covered by footpath is 1203.326 sq. mt.
ii. Total Prohibited Area covered by footpath is 6802.221 sq. mt
iii. Total Regulated Area covered by footpath is 7159.322 sq. mt.

5.1.5 Heights of buildings (Zone wise)

- East: Maximum height is 18.5m (National Science Centre)
- West: Maximum height is 21.0m (Khair-ul-Manzil Masjid)

- North: Maximum height is 06.0m (Major Dhyan Chand National Stadium)
- South: Maximum height is 09.69m (Sunder Nagar Residential Area)

5.1.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

As per the Department of Archaeology, Government of NCT of Delhi, the following structures are protected:

1. Sarai of Ajimganj (inside National Zoological Park)
2. Tomb (inside National Zoological Park)
3. Tomb (inside National Zoological Park near Chimpanzee Cave)

5.1.7 Public amenities:

Facilities such as Illumination, light and sound shoe, toilet, drinking water, ramp, Cultural Notice Board, Public Notice Board, Braille and wi-fi are available at site.

5.1.8 Access to monument:

I. Airport

- Total Distance Delhi IGI Airport (T1) to Purana Qila is 16.4 km.
- Total Distance Delhi Airport (T3) to Purana Qila is 20.7 km.
- Total Distance Delhi Airport (T2) to Purana Qila is 22.9 km.

II. Railway

- Nearest Railway station is Hazrat Nizamuddin Railway Station (5.2km)
- Other railway stations are New Delhi Railway Station (5.7km), Old Delhi Railway Station (10.2km), Delhi Sarai Rohilla Railway Station (10.3km), Delhi Safdurjung Railway Station (10.9 km) and Delhi Cantt Railway Station (15.2 km).

III. Metro Station

- The nearest metro station to the Purana Qila is Pragati Maidan Metro Station The distance from Pragati Maidan Metro Station to the Purana Qila is 2.2km. Distance between Indraprastha Metro Station and Purana Qila is2.8 KM.

IV. Buses

- The nearest bus terminals are Sarai Kale Khan Bus Terminal (8.2 km), ISBT Anand Vihar (11.3 km) and ISBT Kasmiri Gate (13.2 km).
- Delhi Transport Corporation operates buses to Purana Qila regularly.

V. Local Transport

- Tourists can visit Old Fort through various mode of transport. They can use auto rickshaws, taxis, and local buses to reach the fort.
- Auto Rickshaws and cabs services are readily available in Delhi.

VI. By Roads

- Via Mathura Road (NH2) and (NH 44)
- Via Bhairon Marg

5.1.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Water Supply, Parking, Sewage treatment plant, toilets, water treatment plant, water cooling machine, water tanks, guard rooms, pump house, library etc. are available inside the Fort Complex.

5.1.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

The Purana Qila comes under Zone – D Ward no. 55-S of Delhi Master Plan 2021.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument.

6.0 Architectural, historical and archaeological value:

One of the most ancient settlements of Delhi, the Purana Qila occupies an ancient mound which is generally believed to represent the site of Indraprastha (Indrapat) mentioned in the great epic Mahabharata. Various Archaeological excavations over the years have shown continuous stratification from the Mauryan to Early Mughal period. Purana Qila, an irregular oblong on plan is surrounded by a fortified wall. The construction of the fortification and the gates is credited to Humayun while majority of the existing structures inside Purana Qila have been built by Sher Shah Sur.

The fort was surrounded by a moat on three sides, connected with river Yamuna on the east. The remains of the moat can still be seen in north western part of the fort. The access to the gateways of the fort was through a causeway or draw bridge from the main land.The Purana Qila has three double storied majestic gates built with Red Sandstone which are in three directions. The gate of western side is known as Bara Darwaza (facing Mathura Road) which is being currently used for the entrance of the Fort. The other two gates, Humayun Darwaza and Talaqi (Forbidden) Darwaza are located in the southern and northern direction respectively.

6.1 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population Pressure, etc.):

The monument is surrounded by the moat area (the remaining part now developed as a lake), National Zoological Park andtwo lakes inside the National Zoological Park providing the monument with a thick buffer of vegetation and water bodies which should be safeguarded from urbanisation and developmental pressures. Part of Sunder Nagar and JJ Colony are the only residential areas in the vicinity of the monument making the area sparsely populated.

6.2 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

Purana Qila is located on a raised mound and, therefore, majority of the surrounding areas are visible from the monument and the monument itself is visible from Pragati Maidan, Mathura Road and Bhairo Marg.

6.3 Land-use to be identified:

As per the Delhi Master Plan, 2021 majority of the area around the monument comes under the Recreational land use including the monument and the National Zoological Park. Sunder Nagar falls under the residential land use and the Pragati Maidan area falls under Public and Semi-public land use.

6.4 Archaeological heritage remains other than protected monument:

In 1955, excavation in the south-eastern portion of the Purana-Qila, pieces of the Painted Grey Ware were found, apart from relics and remains of later periods. Since, this characteristic ware had been noticed earlier at several sites associated with the story of the *Mahabharata* and had been dated back to around 1000 B. C., its occurrence here supportsit being the site of Indraprastha, capital of the Pandavas. Excavations were resumed in 1969 along the flanks of the passage leading to the Water Gate in the eastern wall and continued till 1973where a continuous stratification from the Mauryan to Early Mughal period has certainly emerged. Pieces of the Painted Grey Ware occur, however, sporadically, but among later deposits. Evidences of the Mauryan Period (c. 300 B. C.) is provided by the existence of the Northern Black Polished Ware, a fine hard earthen pottery with a glossy surface, punch-marked coins, human and animal terracotta figurines and inscribed terracotta seals. Soak-Wells lined with terracotta rings and burnt bricks have also been found, although most of the dwellings were made of mud bricks or wattle and daub, sometimes reinforced with wooden posts.

The northern Black Polished Ware continued during the Sunga Period (c. 200-100 B.C.) along with plain red pottery. The houses were largely built of local rubble or of mud bricks over rubble foundations. Tamped earth or mud bricks made up the floors. The characteristic art of this period, reflecting the religious beliefs of people, is represented by small terracotta plaques modelling semi-divine beings (*yakasha* and*yakashis*). Uninscribed cast coins of the Mathura kings and terracotta sealings also occur in these levels.

Stamped decoration marks the red earthenware of the next Saka-Kushana Period (c. 100 B.C.-A.D. 300). Firm evidence of the chronology of this period is provided by the copper currency of the Yaudheyas and Kushanas. The increasing use of burnt brick appears now to lend an urban look to the settlement.

Surprisingly, in the levels of the succeeding Gupta Period (c. 300-600) the houses that have been encountered are built of brickbats. A gold-plated coin with the figure of an archer on the obverse and the legend Sri-Vikrama on the reverse leaves no doubt that it belongs to one of the Gupta rulers. Inscribed sealings and beautifully modelled human figures are other characteristic objects of this period. A coarsee red earthenware,

terracotta figurines and pieces of fine but damaged stone sculpture indicate the occupation of the site during the Post-Gupta Period (c. 700-800).

Towards the end of the Rajput Period (c. 900-1200) a massive rubble wall was raised to enclose perhaps part of the town, although the houses continued to be built with rubble, brickbats and mud bricks. There was little change in pottery. Coins of 'bull and horseman' type, including those of Samanta Deva, have also been recovered from these levels.

During the succeeding Sultanate rule (1206-1526), rubble and brickbats were used for ordinary houses. But it witnessed the introduction of glazed ware, both of Central Asian affinities and local manufacture. Coins of Balban (1266-1286) and Muhammad Bin Tughlaq (1325-51) have turned up in these levels. Typical and fascinating objects of the Early Mughal Period (1526-1556), representing the rule of Babur, Surs and Humayun, came from a refuse dump of discarded broken household objects. There including jars of eggshell-thin grey ware, glazed ware dishes and painted Chinese porcelain, a piece of which bears the Chinese inscription 'made in the great Ming Dynasty of the Cheng Hua era' (1465-87). Another piece has an inscribed fairy tale in Chinese verse. Other interesting objects comprised glass wine bottles, a gold ear-ring inlaid with emerald and pearls and a coin of 'Adil Shah Sur (1552-53).

6.5 Cultural landscapes:

The fort was surrounded by a moat on three sides, connected with river Yamuna on the east which formed an important element of its cultural landscape. However, the River Yamuna has now shifted its course and the remains of the moat has been developed as a lake in the West direction.

6.6 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monument from environmental pollution:

The monument is surrounded by the moat area (now developed as a lake), National Zoological Park andtwo lakes inside the National Zoological Park providing the monument with a thick buffer of vegetation and water bodies and forming the natural landscape of the monument which helps in protection of the monument form environmental pollution.

6.7 Usage of open space and constructions:

The Protected Area of Purana Qila has 90% open space which consists of well-manicured and landscaped gardens, used by public as a picnic spot. This space is also used by the Tourism Department to host a Light and Sound Show. The lake of Purana Qila, National Zoological Park, Landscaped gardens of Pragati Maidan, Dhyan Chand National Stadium and a public park in Sunder Nagar constitue the open spaces in the Protected, Prohibited and Regulated Areas of the monument.

6.8 Traditional, historical and cultural activities:

The Tourism Department hosts a Light and Sound show every evening, which showcases the history of Purana Qila in Hindi and English.

In winters, Ghazal nights and musical nights are also organised inside the premises of Purana Qila.

6.9 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The clear skyline is visible from the monument and the monument is also visible from the Regulated Area.

6.10 Vernacular Architecture:

No prevalent features of any form of vernacular architecture areseen in the surroundings of the monument.

6.11 Developmental plan, as available, by the local authorities:

As per Delhi MasterPlan 2021, Table 2 of Zonal Development Plan identifies Purana Qila as a Sub Zone- D-7 as notified in May 1981.

6.12 Building related parameters:

(a) Height of the construction on the site (inclusive all): The height of all structures of any kind in the Regulated Area of monuments will be restricted to 18m.

(b) Floor area: As per Master Plan 2021, Delhi (MPD).

(c)Usage:-As per Master Plan 2021, Delhi (MPD).

(d)Façade design:-

- Continuous windows with louvers will not be permitted.
- Large glass facades along the front street or along staircase shafts will not be permitted

(e) Roof design:-

- Flat roof design in the area is to be followed
- Structures, even using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.
- All services such as a large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc.)

(f)Building material: -

- Consistency in materials and color along all street facades within 100m of the monument.
- Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.
- Traditional materials such as brick, cement plaster and stone should be used.

(g)Colour: - The exterior colour must be used of a neutral tone in harmony with the monuments.

6.13 Visitor facilities and amenities:

Facilities such as interpretation centre, cafeteria, souvenir shop, audio visual room shoul be made available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.0 Other Site Specific Recommendations.

- Drinking water, dustbins and toilet facility for the visitors may be enhanced.
- Extensive public awareness programme may be conducted.
- Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.
- The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.

संलग्नक
ANNEXURES

संलग्नक- I
ANNEXURE – I

पुराना किला की राजपत्र अधिसूचना
GAZETTE NOTIFICATION OF PURANA QILA

THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 19, 1918

CHIEF COMMISSIONER, DELHI.

No. 9058 – *Education* – In exercise of the powers conferred by section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), the Chief Commissioner is pleased to confirm Notification No. 7911-Education, dated the 23rd October 1913, which declared the undermentioned monuments to be protected monuments within the meaning of the Act: -

Monuments	Locality
1. Nicholson Status and its platform and the surrounding gardens, paths and enlosure wall.	Outside the Kashmiri Gate, Delhi.
2 Mutiny memorial with its surrounding garden.	On the ridge, Delhi.
3. Hindu Rao's House now used as the station hospital	-Do-
4. Old Baoli immediately to the west of No.3	-do-
5. The reamining gateways of the old magazine with their adjoining buildings.	Near the Post Office, Delhi.
6. Kotla Firoz Shah, Firozabad, with the remaining walls, bastions and gateways, and gardens the old mosque and well and all the other ruined buildings it contains.	Two furlongs cost of the Jali and and some 3 building due south of the sout-east corner of Shahajahanabad, Delhi
7. Purana Qila (Indrapat) or Delhi Sher Shahi, with all its walls, arcades, gateways, and bastions and gardens the moque of Sher Shah (Killa Kohna Masjid), the Sher Mandal and entrances to subterranean passages.	Two miles south of the Delhi gate of Shahjahanabad, Delhi
8. Lal Darwaza, the northern gate of the outer walls of the Delhi of Sher Shah	Three furlongs due south of the Delhi Gate of Shahjahanabad immediately to the east of the Jail, Delhi
9. Uggar Sain's Baoli	In Madhoganj near the Jantar Mantar observatory, Delhi
10. The tomb of Safdar Jang (Mirza Muqim Mansur Ali Khan) with all its enclosure walls, gateways, and gardens and the mosque on the east side of the gardens.	Three and a half miles due south of the south wall of Shahjahanabad and one mile five furlongs due west of Nizam-ud-Din Railway Station, Delhi
11. Site of battery (south-east corner of the gardens) with the following inscriptions: - "Left attack, lievtenant W. Greathead, R.E., directing Engineer,	Qudsia Garden, Delhi

संलग्नक-II
ANNEXURE -II

स्मारक और इसके आस-पास के चित्र

IMAGES OF THE SURROUNDING AREAS OF THE MONUMENT

चित्र:1 भैरव मार्ग ***Fig:1 (Bhairo Marg)***

चित्र:2 पुराना किला का पूर्व
Fig:2East of Purana Qila

चित्र: 3 हुमायूँ दरवाजा
Fig: 3 Humayun Gate

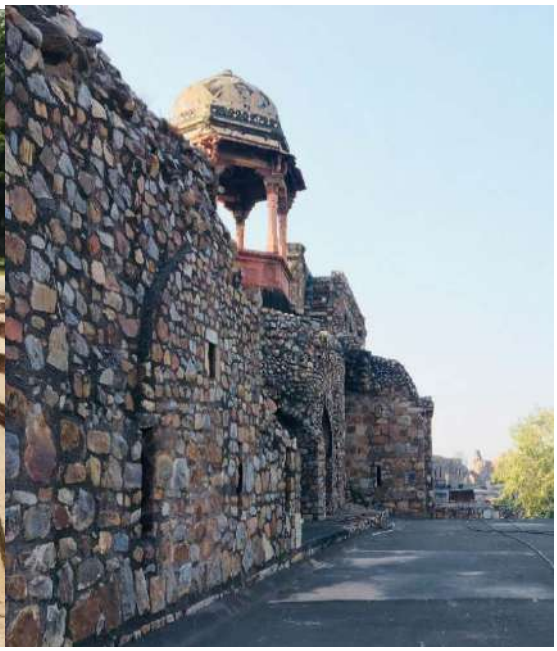

चित्र: 4 सुरक्षा दीवार
Fig:4 Fortification Wall

चित्र:5 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम

Fig:5 Major Dhyan National Stadium

चित्र: 6 बड़ा दरवाजा के निकट उद्यान

Fig:6 Garden near Bada Darwaza

चित्र:7 किले के बाहर परिखा

Fig:7 Moat outside the Fort

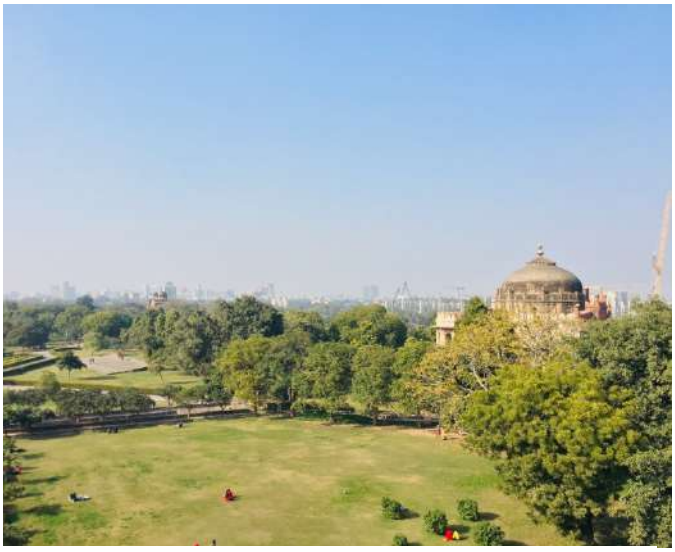

चित्र:8 किले की उत्तर पूर्वी दिशा

Fig:8 North-East side in the Fort

चित्र:9 परिखा

Fig:9 Moat

चित्र:10 निर्माणाधीन प्रगति मैदान

Fig:10 Pragati Maidan- under construction

चित्र: 11 मथुरा रोड

Fig:11 Mathura Road

चित्र:12 प्राणी उद्यान टिकिट काउंटर

Fig:12 Zoological Park ticketing counter

चित्र 13 प्राणी उद्यान खान-पान केंद्र

Fig:13 Zoological Park Eating joints

चित्र:14पुराने किले की पूर्वी दिशा

Fig:14 Eastern side of Purana Qila

चित्र:15 एन डी एम सी द्वारा सुंदर नगर का उद्यान

Fig:15 Sunder Nagar Park by NDMC

चित्र:16 सुंदर नगर आवासी क्षेत्र

Fig:16 Sunder Nagar residential area

चित्र:17 कर्मचारी पार्किंग पुराना किला

Fig:17 Staff Parking at Purana Qila

चित्र:18 प्रगति मैदान रेड लाइट जंक्शन

Fig:18 Pragati Maidan redlight junction

चित्र:19 प्रगति मैदान

Fig:19 Pragati Maidan

संलग्नक-III

स्थानीय निकाय दिशा-निर्देश

दिल्ली मुख्य योजना (दिल्ली मास्टर प्लान)2021 के अनुसार दिशानिर्देश

1. नए निर्माण,इमारत के चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेट बैक) के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमति दत्त भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)/तल स्थल निर्देशिका (एफएसआई) औरऊँचाई

अधिकतम भूमि आवृत्त, तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर), आवासीय भूखंडों के विभिन्न आकार के लिए आवास इकाइयों की संख्या निम्न तालिका के अनुसार होगी:

क्र.सं.	भूखंड काक्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अधिकतम भूमि आवृत्त %	तल क्षेत्र अनुपात	आवास इकाइयों की संख्या
1.	32 से नीचे	90	350	3
2.	32 से50ऊपर	90	350	3
3.	50से100 ऊपर	90	350	4
4.	100 से 250 ऊपर	75	300	4
5.	250 से 750 ऊपर	75	225	6
6.	750 से 1000 ऊपर	50	200	9
7.	1000 से 1500 ऊपर	50	200	9
8.	1500 से 2250 ऊपर	50	200	12
9.	2250 से 3000 ऊपर	50	200	15
10.	3000 से 3750 ऊपर	50	200	18
11.	3750 ऊपर	50	200	21

तालिका 1:दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अनुसार तल क्षेत्र अनुपात और भूमि आवृत्त

- **टिप्पणियाँ:**
  1. संबंधित स्थानीय निकाय, वर्ग-गज से लेकर वर्ग-मीटर तक के क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न, भूखंड के आकार में 2% तक की भिन्नता की अवहेलना करने के लिए सक्षम होगा। और नीचे दिए गए पैरा (ii) के अनुसार भूखंड के आकार की निचली श्रेणी के लिए लागू मानदंडों को पूरा करने के लिए।
  2. 100%भूमि आवृत्त निर्माण के नियमितीकरण के लिए योग्य होगा, जो पहले से ही अधिसूचित शुल्कों के भुगतान पर 22.09.06 पर मौजूद है।

3. आवासीय भूखंड का न्यूनतम आकार 32 वर्गमीटर होगा। हालाँकि, सरकार द्वारा प्रायोजित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की योजनाओं के मामले में, आकार को और कम किया जा सकता है।
4. 100 से 175 वर्गमीटर के संबंध में अधिसूचना के अनुसार शुल्क के भुगतान पर 22.09.06 परपहले से मौजूद निर्माण को नियमित करने के लिए 100% भूमि आवृत्त और 350 तल क्षेत्र अनुपात की पात्रता होगी।
5. अनुमति दत्त तल क्षेत्र अनुपात और आवासीय इकाईयाँ दिल्ली मुख्य योजना-2021 मानदंडों से कम नहीं होंगे।

- **नियम और शर्तें:**
    1. निवास इकाइयों की अतिरिक्त संख्या नागरिक बुनियादी ढांचे के संवर्द्धन के लिए उपकर के भुगतान के अधीन होगी।
    2. किसी श्रेणी में किसी भी भूखंड में अनुमत कुल आवृत्त और तल क्षेत्र अनुपात, दत्त अनुमति से कम नहीं होगा और अगले निचले वर्ग में सबसे बड़े भूखंड के लिए पलब्ध होगा।
- **ऊंचाई:**

    1. सभी भूखंडों में भवन की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी।
    2. भूखंडों के उपखंड की अनुमति नहीं है। हालाँकि, यदि एक आवासीय भूखंड में एक से अधिक इमारतें हैं, तो ऐसे सभी भवनों के निर्मित क्षेत्र और भूमि आवृत्त का योग, उस प्लॉट में अनुमति दत्त क्षेत्र और भूमि आवृत्त से अधिक नहीं होगा।
    3. मध्य तल (मेजेनाइन फ्लोर), और सेवा तल (सर्विस फ्लोर), यदि निर्माण किया गया है, तो तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) में गिना जाएगा।

- **तलघर:**

    तलघर को तल क्षेत्र अनुपात के अनुसार नहीं गिना जाएगा, यदि इसका प्रयोग अनुमतिदत्त भवन उपनियमों के आधार पर हो जैसे घरेलू भंडारण और पार्किंग। तलघर का क्षेत्र भूतल पर आवृत्त क्षेत्र से परे अनुमति दत्त और स्वीकृत निर्मित क्षेत्र से अधिक विस्तारित नहीं होगा, लेकिन आंतरिक ऑगन और कूपक के नीचे के क्षेत्र तक विस्तारित हो सकता है। मिश्रित उपयोग नियम तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अंतर्गत गिना जाएगा और उपयुक्त शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, यदि यह अनुमति दत्त तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) से अधिक है।

- **शहतीर:**

    यदि भवन का उपयोग गैर-रहने योग्य ऊंचाई (2.4 मी से कम) के शहतीर (स्टिल्ट) क्षेत्र के साथ किया जाता है, तो ऐसे शहतीर (स्टिल्ट) क्षेत्र को तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन भवन की ऊँचाई की गणना की जाएगी।

- **पार्किंग:**

आवासीय भूखंड के लिए पार्किंग की जगह इस प्रकार प्रदान की जाएगी:

1. 2 समतुल्य कार स्थान (स्पेस) (ईसीएस)250-300 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भूखंड में।
2. निर्मित क्षेत्र, 300 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंडों में प्रत्येक100 वर्ग मीटर के लिए एक ई.सी.एस., बशर्ते, कि एक भूखंड में उपर्युक्त पार्किंग मानदंडों के साथ अनुमतिदत्त आवृत्त क्षेत्र (कवरेज) और तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) हासिल नहीं किया जाता है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंडों की अनुमति होगी।

- **घनत्व:**

घनत्व गणना के लिए, आवास इकाई को 4.5 व्यक्तियों और सेवकों के आवासों को 2.25 व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए माना जाएगा।

1. निम्न तालिका में दिए गए अनुसार न्यूनतम चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (सेटबैक) दिया जायगा:

क्रम संख्या	**भूखंड का आकार (वर्ग मीटर में)**	**न्यूनतम चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र(मीटर में)**			
		सामने	पीछे	पक्ष (1)	पक्ष (2)
1.	नीचे 100	0	0	0	0
2.	100 से ऊपर और 250 तक	3	0	0	0
3.	250 से ऊपर और 500 तक	3	3	3	0
4.	500 से ऊपर और 2000 तक	6	3	3	3
5.	2000 से ऊपर और 10000 तक	9	6	6	6
6.	10000 से ऊपर	15	9	9	9

तालिका *2*: दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अनुसार चारों ओर छोड़ा गया क्षेत्र (*सेटबैक*)

क. यदि किसी भूखंड(प्लॉट) में उपर्युक्त निर्दिष्ट अनुमति दत्त आवृत्त क्षेत्र (कवरेज) प्राप्त नहीं होती है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के चारो ओर छोड़े गये क्षेत्र की अनुमति दी जा सकती है।

ख. भविष्य में निर्माण के मामले में, 50 वर्गमीटर से 100 वर्गमीटर के क्षेत्र के आवासीय भूखंडोंके लिए न्यूनतम 2 मीटर x 2 मीटर खुला ऑगन प्रदान किया जाएगा।

2. सेवकों के आवासों की संख्या अनुमोदित अभिन्यास(लेआउट) योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी और निर्धारित ऊँचाई के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। हालाँकि, यदि गैराज ब्लॉक का स्थान मुख्य भवन के साथ मिला दिया जाता है, तो मुख्य भवन के हिस्से के रूप में कोई अलग सेवक आवास ब्लॉक या सेवक आवास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, अनुमति देने वाले आवृत्त क्षेत्र तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) के भीतर आवास इकाई के हिस्से के रूप में एक सेवक के कमरे के लिए प्रावधान की अनुमति दी जाएगी।

3. प्रत्येक सेवक क्वार्टर में 11 वर्ग तल क्षेत्र से कम क्षेत्रफल का कमरा नहीं होना चाहिए, खानापकाने के बरामदे, बाथरूम और शौचालय के स्थान छोड़कर। सेवक के कमरे का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा। यदि आकार में बड़ा है, तो सेवक के कमरे को पूर्ण आवास इकाई के रूप में घनत्व में गिना जाएगा।

4. उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार, राजपत्र अधिसूचना 23.07.98 के अनुसार अतिरिक्त आवृत्त क्षेत्र, अतिरिक्त तल या उसके हिस्से की मांग करने वाले प्लॉट मालिकों/आवंटियों से अनुमोदन के साथ अधिसूचित दरों पर समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार बेहतर करारोपण (या अतिरिक्त एफ.ए.आर. शुल्क) वसूला जाएगा। । यह अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) की अनुमति के अतिरिक्त देय शुल्क है जो 23.07.98 दिनांकित अधिसूचना के अतिरिक्त है और तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) से अधिक 15.05.95 दिनांकित अधिसूचना के अनुसार होगा।

5. इस अधिसूचना के तहत दी गई अतिरिक्त कवरेज के संदर्भ में निर्माण को नियमित करने की मॉग करने वाले प्लॉट मालिकों/आवंटियों को ऊपर पैरा (xiii) में निर्दिष्ट बेहतर करारोपण के अतिरिक्त, सरकार की मंजूरी के साथ जुर्माना और समझौता शुल्क देना होगा।

6. इस अधिसूचना के संदर्भ में अतिरिक्त ऊँचाई को नियमित करने की मॉग करने वाले भूखंड मालिकों/आवंटियों को पैरा (xiv) में उल्लिखित बेहतर करारोपण के अलावा, सरकार के अनुमोदन के साथ अधिसूचित जुर्माना और विशेष समझौता शुल्क देना होगा।

7. एकत्र की गई राशि को पार्किंग स्थल के विकास के लिए, सुविधाओं के वर्धन और पर्यावरण सुधार के लिये एस्क्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए। खाते की आय और व्यय का विवरण त्रैमासिक अवधि मे स्थानीय निकाय द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और निम्नलिखित को छोड़कर अतिरिक्त निर्माण या ऊँचाई के नियमितीकरण के लिए स्थानीय निकाय की मंजूरी से हले हटा दिया जाएगा:

   क. प्रोजेक्शन/छज्जे/आवृत्त छज्जे जो 7.2.2007 से पूर्व बने हों और भूतल से 3 मीटर ऊँचाई से 1 मीटर ऊपर तक हैं जो भूखंड की माप (प्लाट साइज) 175 वर्गमीटर तक 24 मीटर मार्ग अधिकार (राइट ऑफ वे) को कम सड़क पर 1962 से पूर्व निर्मित कालोनी (ए तथा बी वर्गीकरण को छोड़कर) अनियोजित क्षेत्रों में (विशेष

क्षेत्र ग्राम आबादी अनाधिकृत नियमित कालानियों के साथ) तथा पुर्नस्थापित कालोनियों को नियमित किया जावेगा। भूस्वामी/ रहवासी को संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र(सट्रक्चरल सेफ्टी सर्टीफिकेट) तथा अग्नि निकासी (फायर क्लीयरेंस) एक सम्यक समय तक लेनी होगी जैसा कि सरकार द्वारा निर्देशित हो।इस प्रकार प्रक्षेपण/ निर्मित क्षेत्र तल क्षेत्र अनुपात में गिने जायेंगे तथा अनुमोदित तल क्षेत्र अनुपात से अधिक तल क्षेत्र अनुपात का नियमतीकरण सरकार द्वारा स्वीकृत सही दरों के अनुसार होगा।

ख. स्थानीय निकाय संबंधित सभी ऐसे अनुमानों की अधिसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर एक सर्वेक्षण करेगा, जो नियमित किए जाने के योग्य होंगे और अधिभोगियों/मालिकों और जनता के किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने पर आपत्तियों के लिए सार्वजनिक सूची में ऐसी सूची डालेंगे। / सूची में इस तरह के प्रक्षेपण का बहिष्करण और उसके बाद सूची को लिखित रूप में प्राप्त ऐसी आपत्तियों पर विचार करने के बाद एक महीने की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।

9. अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर) और/या ऊँचाई को मंजूरी या नियमित करने की मॉग करने वाला प्रत्येक आवेदक एक संरचनात्मक इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जहां इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, या भवन को अन्यथा संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है, एक उचित निर्धारित अवधि के भीतर संरचनात्मक कमजोरी को ठीक करने के लिए, संबंधित भवन के मालिक को औपचारिक नोटिस दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करने में विफल रहेगा कि कौन सा भवन घोषित किया जाएगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा असुरक्षित और मालिक या स्थानीय निकाय द्वारा ध्वस्त किया जाएगा।

10. मानक योजनाएं:

प्राधिकरण द्वारा डिजाइन की हुयी और अनुमोदित कई मानक निर्माण योजनाएँ हैं। जब भी लागू हो ऐसी योजनाएँ संचालित होती रहेंगी। ऐसी योजनाओं को लागू विकास नियंत्रणों के अनुसार संशोधित किया जायगा।

2. धरोहर उपनियम/नियम/दिशा-निर्देश यदि कोई स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध है

- दिल्ली की निर्मित धरोहरों के संरक्षण से संबंधित एजेंसियां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जी. एन. सी. टी. डी, राज्य पुरातत्व विभाग, एन.डी.एम.सी., एम.सी.डी., कैंटोनमेंट बोर्ड और डी.डी.ए.हैं।

- दिल्ली की निर्मित धरोहर को सभी नागरिकों द्वारा संरक्षित, और पोषित करने की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सौंपना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि संरक्षण के लिए नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के उद्देश्य से, सभी अभिकरणों(एजेन्सियों) द्वारा उचित कार्य योजना तैयार की जा सकती है। इनमें नागरिक

और शहरी विरासत के संरक्षण, वास्तुकला के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों, जीवित स्मारकों, मेमोरियल्स और ऐतिहासिक उद्यानों, रिवरफ्रंट, शहर की दीवार, दरवाजों, पुलों, विस्तारों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और रिज के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए।

- यह अनुशंसा की जाती है कि अभिन्यास योजनाओं (ले आउट) /योजनाओं को तैयार करते समय इन्हें उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। प्रमुख स्मारकों के मामले में, यह आवश्यक है कि आसपास के क्षेत्र को अभिन्यास योजना/विस्तार योजना में पहचाना जाना चाहिए, और स्मारकों की ऊँचाई, सामग्री और प्रसार के संबंध में भवन नियंत्रण होना चाहिए।
- निम्नलिखित उद्देश्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन सभी अभिकरणों(एजेन्सीज) के बीच घनिष्ठ संपर्क और समन्वय बनाए रखना आवश्यक होगा।

I डेटाबेस को बनाए रखें और अद्यतन करें।

II. विरासत प्रबंधन के लिए संगठनात्मक क्षमता का विकास करना।

III संपूर्ण शब्दावली को परिभाषित करें।

IV निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर हेरिटेज इमारतों की सूची:

क. भवन की आयु।

ख. वास्तु संबंधित, सांस्कृतिक तथा विभिन्न ऐतिहासिक कालों के संदर्भ में उसके विशिष्ट मूल्य।

ग. इतिहास के लिए इसकी प्रासंगिकता।

घ. किसी प्रसिद्ध चरित्र या घटना के साथ इसका जुड़ाव।

ङ. इमारतों के समूह के हिस्से के रूप में इसका मूल्य।

च. इमारत की या उससे संबंधित किसी संरचना की विशिष्टता, अथवा उसका किसी भूभाग सेसंबंध तथा किसी इमारत के अहाते के अंदर होना।

V विकास, पुनर्विकास, परिवर्धन परिवर्तन, मरम्मत, नवीनीकरण और विरासत भवनों के पुनः उपयोगके लिए दिशानिर्देश तैयार करें।

VI शिक्षा और जागरूकता के लिए कार्यक्रम लागू करना।

3. खुला स्थान (ओपन स्पेस)

खेल, व्यायाम या सक्रिय खेलने के लिए उपयोग की जाने वाली खुली जगह को "सक्रिय खुली जगह"(एक्टिव ओपेन स्पेस) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जैसे खेल का मैदान और कोर्ट, पूल, गोल्फ कोर्स आदि। दूसरी तरफ, बैठने के लिए या टहलने जैसे खुले स्थान का वर्गीकरण निष्क्रिय (पैसिव) के रूप में किया है। है जैसे प्रतिबंधित लॉन, उद्यान, चर्च यार्ड आदि।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड(एन.सी.आर.पी.बी.) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.)ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन.सी.टी.डी.)के लिए क्रमशःराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना और मुख्य योजना (मास्टर प्लान) तैयार किये हैं, जिसमें व्यापक भू-उपयोग श्रेणियों और यातायात

गलियारे को दर्शाने वाला 20 साल का परिप्रेक्ष्य है। ध्यान से, दिल्ली की हरियाली की योजना बनाते हुए, डीडीए ने खुले स्थान को पदानुक्रम के स्तर में विभाजित किया है:

I क्षेत्रीय पार्क

क)	उत्तरी रिज	87 हैक्टेयर
ख)	सेंट्रल रिज	864 हैक्टेयर
ग)	साउथ सेंट्रल रिज	626 हैक्टेयर
घ)	दक्षिणी रिज	6200 हैक्टेयर

सत्यापन के अधीन, क्षेत्रीय पार्क का क्षेत्रफल 7777 हेक्टेयर है। इसके भाग को भारतीय वन अधिनियम, 1927अधिसूचना दिनांक 24.5.94 और 02.04.96 के तहत आरक्षित वन के रूप मेंअधिसूचित किया गया है।विभिन्नएजेंसियों– डी.डी.ए.,.पी.डब्लयू.डी.,एन.डी.एम.सी.,एम.सी.डी.,वन विभाग और रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले कुल क्षेत्र की भौतिक सीमाओं के बीच विसंगतियां हैं। वन विभाग द्वारा सटीक सीमाओं की पहचान होने तक, क्षेत्रीय पार्क के रूप में दिल्ली के लिए मुख्य योजना (मास्टर प्लान) (भूमि उपयोग योजना) में इंगित सीमा जारी रहेगी।

II जिला उद्यान

डिस्ट्रिक्ट पार्क, थीम पार्क, रिक्रिएशनल क्लब, नेशनल मेमोरियल, ओपन-एयर फूड कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क, ऑर्चर्ड, प्लांट नर्सरी, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए क्षेत्र, आर्कियोलॉजिकल पार्क, स्पेशलाइज्ड पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्लेग्राउंड, सुविधा संरचनाएँ।

- 25 हेक्टेयर से ऊपर के क्षेत्र वाले जिला पार्क में भोजनालय निम्नलिखित के अधीन:

- रेस्तरां भूखंड का क्षेत्रफल जिला पार्क के 0.8% या 1% से अधिक नहीं होगा, जो भी कम हो।
- रेस्तरां भूखंड का शेष जिला पार्क क्षेत्र से कोई भौतिक अलगाव नहीं होगा।
- इमारत अधिकतम के तल क्षेत्र अनुपात 5 तथा ऊँचाई 4 से कम होते हुये एक एकल- मंजिल संरचना होगी। यह किसी भी आवासीय सुविधा के बिना तथा आसपास के साथ सामंजस्य स्थापित करके होगी।
- यदि आसपास के क्षेत्र में पार्किंग स्थल नहीं है, तो रेस्तरां से उचित दूरी पर पार्किंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पार्किंग क्षेत्र को रेस्तरां के परिसर/हरियाली का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए।
- क्षेत्र का 30% घने वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा

III हरा मनोरंजनात्मक क्षेत्र

स्पोर्टस् काम्प्लेक्स, जिन्हें दिल्ली मुख्य योजना -2001 के तहत हरे/मनोरंजक उपयोग की श्रेणी में शामिल किया गया था, को खेल की एक अलग श्रेणी के तहत देखा जाएगा। इस संशोधन के मुख्य कारणों में से एक यह है कि, दिल्ली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

क्रम संख्या	श्रेणी	श्रेणी नियोजन मानदंड और मानक	
		जनसंख्या इकाई / (लगभग)	प्लॉट क्षेत्र(है).
1.	सिटी पार्क	10 लाख	100
2.	सामुदायिक पार्क	5 लाख	25
3.	सामुदायिक पार्क	1 लाख	5

तालिका 3: नियोजन मानदंड, उप-शहर स्तर पर मनोरंजन क्षेत्रों / पार्कों के लिए मानक

- नोट: 5 से 10% क्षेत्र वर्षा जल संचय/जल निकाय के लिए उपयोग में होगा।

क्रम संख्या	श्रेणी	नियोजन मानदंड और मानक	
		जनसंख्या / इकाई (लगभग)	प्लॉट क्षेत्र (है.)
1.	पड़ोस के पार्क	10000	1.0
2.	आवास क्षेत्र पार्क	5000	0.5
3.	कुल आवास क्लस्टर स्तर	250	0.0125

तालिका 4: नियोजन मानदंड, पड़ोसस्तर पर मनोरंजन क्षेत्रों / पार्कों के लिए मानक

IV खेल परिसर

क्रम संख्या	श्रेणी	जनसंख्या/यूनिट(लगभग)	भूखंड क्षेत्र (है.)
1.	संभागीय खेल केन्द्र/गोल्फ कोर्स	10 लाख	10 से 30 और ऊपर
2.	जिला खेल केंद्र	5 लाख	3 से 10
3.	सामुदायिक खेल केंद्र	1 लाख	1 से 3
4.	पड़ोस खेल क्षेत्र	10,000	0.5 से 1
5.	आवास क्षेत्र खेल मैदान	5,000	0.5

तालिका 5: नियोजन मानदंड, खेल केंद्र के लिए मानक

V. अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन

लगभग 200 हेक्टेयर का उपयुक्त क्षेत्र जहाँ भी संभव हो अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए आरक्षित किया जाएगा।

VI. हरित पेटी (ग्रीन बेल्टस)

वन, कृषि उपयोग, वनस्पति पेटी, गौशाला(डेयरी फार्म), सुअर पालन, मुर्गी पालन, फार्म हाउस, वन्य जीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, जैव विविधता पार्क, पशु चिकित्सा केंद्र, पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, स्मृति वन, प्लांट नर्सरी, बाग, पानी संचय के लिए क्षेत्र-, फूलों की खेती के खेत, खुला खेल का मैदान, कृषि वानिकी, सुख-सुविधा संरचनाएँ

क. सामुदायिक पार्क: पार्क, चिल्ड्रन पार्क, ओपन-एयर फूड कोर्ट, खेल का मैदान आदि।

ख. मनोरंजन पार्क: जिला पार्कों में 10 हैक्टेयर तक के मनोरंजन पार्क की अनुमति दी जा सकती है। निम्नलिखित विकास नियंत्रण लागू होंगे:

1. अधिकतम भूमि आवृत्त - 5%
2. अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात - 7.5
3. अधिकतम ऊँचाई - 8 मीटर
4. पार्किंग - 3 ई.सी.एस. / 100 वर्गमीटर। न्यूनतम 100 कारों के लिए पार्किंग प्रदान करने के लिए अनुबंध के साथ फर्श क्षेत्र ।

ग. पुरातत्व पार्क: निम्नलिखित क्षेत्रों को पुरातत्व पार्क के रूप में नामित किया गया है:

1. महरौली पुरातत्व पार्क
2. तुगलकाबाद पुरातत्व पार्क
3. सुल्तान गढ़ी पुरातत्व पार्क

घ. बहुउद्देशीय मैदान: इसका उपयोग विवाह/सार्वजनिक कार्यों आदि के लिए किया जाता है; निम्नलिखित तरीके से तीन स्तरों पर इसकी देखभाल करने के लिए एक विशेष श्रेणी प्रस्तावित है:

क्रमसंख्या	श्रेणी	नियोजनमानदंडऔरमानक	
		जनसंख्यालगभग	भूखंडक्षेत्र (है.)
1.	शहर बहुउद्देश्यीय मैदान	10 लाख	8
2.	जिला बहुउद्देशीय मैदान	5 लाख	4
3.	सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	1लाख	2

तालिका 6: नियोजन मानदंड, बहुउद्देश्यीय आधार के लिए मानक

ङ. पार्किंग: व्यक्तिगत मोटर वाहनों में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, आज की प्रमुख समस्याओं में से एक पार्किंग की जगह की कमी है। पर्याप्त संगठित पार्किंग स्थान और सुविधाओं के अभाव में,वाहन पार्किंग के लिए मूल्यवान सड़क स्थान का उपयोग किया जा रहा है। शहर में पार्किंग की समस्या को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

क. सड़कों के किनारे, जिनका व्यवसायीकरण किया जाता है।
ख. नियोजित वाणिज्यिक केंद्रों में।
ग. आवासीय कॉलोनियों में।
घ. बड़े संस्थागत परिसरों में।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र-सड़क सरफेसिंग, पैदल रास्ते, गैर-मोटर चालित परिवहन आदि के साथ गतिशीलता।

दिल्ली में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जो पुराने समय के छह गढ़ों को सम्मिलत करती है, जो शहर के चारों ओर बिखरे हुए हैं। भारत की राजधानी में बढ़ती आबादी और प्रवास के साथ, सड़कों में भीड़भाड़ हो गई हैं और यातायात हमेशा बढ़ रहा है। भले ही मेट्रो इस भार का आधा हिस्सा लेती है, सड़क नेटवर्क फिर भी वैसा ही है क्योंकि वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

गतिशीलता का साधन कारों (टैक्सियों सहित), 2-पहिया, ऑटो रिक्शा, बसों, मैजिक बसों और विक्रम ऑटो के माध्यम से है। सार्वजनिक परिवहन में डीटीसी (दिल्ली परिवहन निगम) बसें, और क्लस्टर बसें शामिल हैं जो शहर और एनसीआर में चलती हैं। कई निजी बसें भी हैं जो शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास चलती हैं।

5. गलियारे, अग्रभागऔर नए निर्माण

स्मारक संलग्न दीवारों के साथ भूमि के विभिन्न भूखंड किसी भी डिजाइन नियंत्रण, मानदंडों से बंधे नहीं हैं और इसलिए, स्थल के चारों ओर एक अलग रूप देने के लिए बसावट और स्मारक के संदर्भ को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। साइनेज, बाउंड्री वॉल, स्ट्रीट सरफेसिंग, स्ट्रीट फ़र्नीचर और प्रवेश द्वार के साइनेज, सामग्री और डिज़ाइन पर व्यापक डिज़ाइन दिशा-निर्देश स्थल के आसपास के स्थान को एकजुट करने में मदद कर सकते हैं।

ANNEXURE – III

LOCAL BODIES GUIDELINES

EXISTING GUIDELINES AS PER DELHI MASTERPLAN 2021

1. Permissible Ground Coverage, FAR/ FSI and Heights with the regulated area for new construction, Set Backs

Maximum ground coverage, FAR, number of dwelling units for different size of residential plots shall be as per the following table:

S.No.	Area of Plot (sq. m.)	Max. Ground Coverage %	FAR	No. of DUs
1.	Below 32	90	350	3
2.	Above 32 to 50	90	350	3
3.	Above 50 to 100	90	350	4
4.	Above 100 to 250	75	300	4
5.	Above 250 to 750	75	225	6
6.	Above 750 to 1000	50	200	9
7.	Above 1000 to 1500	50	200	9
8.	Above 1500 to 2250	50	200	12
9.	Above 2250 to 3000	50	200	15
10.	Above 3000 to 3750	50	200	18
11.	Above 3750	50	200	21

Table 1: FAR and Ground Coverage as per Master Plan 2021

- **Notes:**
  1. The local body concerned shall be competent to disregard variation of up to 2% in plot size, arising from conversion of area from sq. yard to sq. m. and to grant the norms applicable to the lower category of plot size in accordance to para (ii) below.
  2. 100% ground coverage shall be eligible for regularization of construction, already existing as on 22.09.06 on payment of charges as notified.
  3. Minimum size of the residential plot shall be 32 sqm. However, in case of Government sponsored economically weaker section schemes, size could be reduced further.
  4. 100% ground coverage and 350 FAR shall be eligible for regularization of construction already existing as on 22.09.06 on payment of charges as per the notification, in respect plot size between 100 to 175 sqm.
  5. Permissible FAR and Dwelling Units shall not be less than MPD-2001 norms.

- **Terms and Conditions:**
  1. The additional number of dwelling units would be subject to payment of levy for the augmentation of civic infrastructure.

2. The total coverage and FAR permissible in any plot in a category, shall not be less than that permissible and available to the largest plot in the next lower category.

- **Height:**
  1. The maximum height of the building in all plots shall be 15 metres.
  2. Subdivision of plots is not permitted. However, if there are more than one building in one residential plot, the sum of the built-up area and ground coverage of all such buildings, shall not exceed the built-up area and ground coverage permissible in that plot.
  3. The mezzanine floor, and service floor, if constructed, shall be counted in the FAR.
- **Basement:**
  Basement shall not be counted towards FAR if used for purposes permissible underbuilding byelaws namely household storage and parking. Basement area shall not extend beyond the coverage on the ground floor as per permissible and sanctioned built up area but may extend to the area below the internal courtyard and shaft. Basement if used in terms of Chapter 15.0. Mixed Use regulations shall count towards FAR and shall be liable to payment of appropriate charges, if it exceeds the permissible FAR.

- **Stilts:**
  If the building is constructed with stilt area of non-habitable height (less than 2.4m), used for parking, such stilt area shall not be included in FAR but would be counted towards the height of the building.

- **Parking:**
  Parking space shall be provided for within the residential plot as follows:
  1. 2 Equivalent Car Space (ECS) in plots of size 250-300 sq.m.
  2. 1 ECS for every 100 sq. m. built up area, in plots exceeding 300 sq. m., provided that, if the permissible coverage and FAR is not achieved with the above-mentioned parking norms in a plot, the parking norms of the preceding category shall be allowed.

- **Density:**
  For density calculations, the dwelling unit shall be considered to accommodate 4.5 persons and the servant quarter to accommodate 2.25 persons.

1. The minimum setbacks shall be as given in the following table:

S. No.	**Plot Size (in sq. m.)**	**Minimum Setbacks (in meters)**			
		Front	Rear	Side (1)	Side (2)
1.	Below 100	0	0	0	0
2.	Above 100 and up to 250	3	0	0	0
3.	Above 250 and up to 500	3	3	3	0
4.	Above 500 and up to 2000	6	3	3	3
5.	Above 2000 and up to 10000	9	6	6	6
6.	Above 10000	15	9	9	9

Table 2: Setbacks as per Master Plan 2021

a. In case the permissible coverage is not achieved with the above-mentioned setbacks in a plot, the setbacks of the preceding category may be allowed.
b. In the case of construction in the future, a minimum 2m x 2m open courtyard shall be provided for in residential plots of area of 50 sqm. to 100 sqm.

2. Number of servant quarters shall be provided as per approved layout plan and shall be constructed within the stipulated height. However, if the garage block space is merged with the main building, no separate servant quarter block or servant quarter, as part of main building shall be allowed. However, provision for a servant's room as part of the dwelling unit within the permissible coverage FAR shall be allowed.

3. Each servant quarter shall comprise of one habitable room of area not less than 11 sq. Floor area, exclusive of cooking *verandah*, bathroom and lavatory. The maximum size of servant quarter shall be 25 sqm. If larger in size, the servant's quarter shall be counted in density as a full dwelling unit.

4. Plot owners / allotters seeking extra coverage, additional floor or part thereof, over and above Gazette Notification dated 23.07.98, as per above mentioned norms shall be charged betterment levy (or additional FAR charges) at the rates notified with the approval the Government from time to time. This is in addition to the levy payable on the additional FAR allowed vide notification dated 23.07.98 and over the FAR allowed vide notification dated 15.05.95.

5. Plot owners / allotters seeking regularization of construction in terms of the additional coverage allowed under this notification, shall have to pay a penalty and compounding charges notified with the approval of the Government, over and above the betterment levy referred to in para (xiii) above.

6. Plot owners / allotters seeking regularization of additional height in terms of this notification, will have to pay penalty and special compounding charges notified with the approval of the Government, in addition to betterment levy referred to in para (xiv).

7. The amount so collected be deposited in an escrow account by the local body concerned for incurring expenditure for developing parking sites, augmentation of amenities / infrastructure and environmental improvement programmes and a quarterly statement of the income and expenditure of the account shall be rendered by the local bodies to the Government.

8. [Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed before the local body grants sanction for regularization of additional construction or height except the following: -

   a. Projections / *chajjas* / covered *chajjas* built up portion which existed before7.2.2007 up to 1m above 3m height from the ground level shall be regularized for plot size up to 175 sqm on roads below 24m ROW in pre-1962 colonies (except for A & B category), in unplanned areas (including special area, village *abadi* and unauthorized regularized colonies) and re-settlement

colonies. The owners /occupiers shall have to obtain structural safety certificate and fire clearance within reasonable period as notified by the Government. Such projections / built up portion thereon shall be counted in FAR and in case of excess FAR over and above permissible FAR, such FAR in excess shall be regularized subject to payment of appropriate charges as approved by the Government.

b. The local body concerned shall carry out a survey within a period of two months from the date of notification of all such projections eligible to be regularized and put such list in public domain for objections from the occupiers / owners and any person of the public against inclusion / exclusion of such projection in the list and the list thereafter will be finalized within a period of one month after considering such objections received in writing.]

9. Every applicant seeking sanction or regularization of additional FAR and / or height shall submit a certificate of structural safety obtained from a structural engineer. Where such certificate is not submitted, or the Building is otherwise found to be structurally unsafe, formal notice shall be given to the owner by the local body concerned, to rectify the structural weakness within a reasonable stipulated period, failing which the building shall be declared unsafe by the local body concerned and shall be demolished by owner or the local body.

10. Standard Plans:
    There are several standard building plans designed and approved by the Authority. Such plans shall continue to operate whenever applicable. Such plans shall be modified as per the applicable development controls.

2. Heritage bye-laws/ regulations/ guidelines if any available with local bodies

- The agencies concerned with the protection of Delhi's Built Heritage are ASI, GNCTD, State Archaeology Department, NDMC, MCD, Cantonment Board and DDA.
- Built heritage of Delhi needs to be protected, nourished and nurtured by all citizens and passed on to the coming generations. It is suggested that with the aim of framing policies and strategies for conservation, appropriate action plans may be prepared by all the agencies. These should include promotion of conservation of the civic and urban heritage, architecturally significant historical landmarks, living monuments, memorials and historical gardens, riverfront, city wall, gates, bridges, vistas, public places, edicts and the ridge.
- It is recommended that these should be suitably incorporated while preparing layout plans / schemes. In case of major monuments, it is necessary that the surrounding area should be identified in the layout / detail plan, and should have building controls in relation to height, material and spread of the monuments.
- It will also be necessary to maintain close interaction and coordination between all these agencies keeping in view the following objectives and requirements.
    i. Maintain and update a database.
    ii. Develop organizational capacity for heritage management.
    iii. Define all the applicable terms.
    iv. Listing of Heritage Buildings based on the following criteria:
        a. The age of the building;

b. Its special value for architectural or cultural reasons or historical periods;
c. Its relevance to history;
d. Its association with a well-known character or event;
e. Its value as part of a group of buildings;
f. The uniqueness of the building or any object or structures fixed to the building or forming part of the land and comprised within the curtilage of the building.

v. Prepare guidelines for development, redevelopment, additions alterations, repairs, renovations and reuse of the heritage buildings.

vi. Implementing programmes for education and awareness.

3. Open Spaces

Open space that is used for sports, exercise or active play is classified as "active open space" like playing field and courts, pools, golf courses etc. on the other hand, the open space used for relaxation, such as sitting, or strolling is classified as "passive" like restricted use lawns, gardens, church yards etc.

The NCRPB (National Capital Region Planning Board) and the DDA (Delhi Development Authority) have prepared the NCR Plan and Master Plan for the NCTD (National Capital Territory of Delhi), respectively, with a 20-year perspective showing broad land-use categories and traffic corridors. Carefully, planning the greening of Delhi, DDA has divided the open space into a level of hierarchies:

i. Regional Parks

a) Northern Ridge	87 ha.
b) Central Ridge	864 ha.
c) South Central Ridge	626 ha.
d) Southern Ridge	6200 ha.

Subject to verification, the area of Regional Park is 7777 hectares. Part of this has been notified as Reserve Forest under the Indian Forest Act, 1927 vide Notification dated24.5.94 and 02.04.96. There are discrepancies between the area notified and the physical boundaries of the total area owned by various agencies - DDA, CPWD, NDMC, MCD, Forest Department and the Ministry of Defense. Till the exact boundaries are identified by the Forest Department, the boundary indicated in the Master Plan for Delhi (land use plan) as Regional Park shall continue.

ii. District Parks

District Park, Theme park, Recreational Club, National Memorial, Open-air food court, Children Park, Orchard, Plant Nursery, Area for water harvesting, Archaeological Park, Specialized Park, Amusement Park, Children Traffic Park, Sports activity, Playground, Amenity structures.

- Restaurant in a District Park having an area above 25 Ha. subject to following:
- Area of the restaurant plot shall not be more than 0.8 Ha or 1% of the District Park, whichever is less.

- Restaurant plot shall have no physical segregation from the rest of the District Park area.
- The building shall be a single-story structure with max. FAR of 5 and height not more than 4m. Without any residential facility and to harmonize with the surroundings.
- In case there is no parking lot in the vicinity, parking should be provided at a reasonable distance from the restaurants. Parking area should not form part of the restaurant complex / greens.
- 30% of the area shall be developed as dense plantation

iii. Green / Recreational Areas

Sports Complexes, which were included in the green / recreational use category under the MPD-2001 will be seen under a separate category of sports. One of the main reasons for this modification is that, Delhi is emerging as an important center for National and International sports events.

S. No	Category	Planning Norms& Standard	
		Population / unit (Approx.)	Plot Area (Ha)
1.	City Parks	10 lakhs	100
2.	District Parks	5 lakhs	25
3.	Community Parks	1 lakh	5

Table 3:Planning Norms, Standards for Recreational Areas / Parks at Sub-City Level

Note: 5 to 10 % of the area will be under use for rainwater harvesting / water body.

S. No.	Category	Planning Norms& Standard	
		Population / unit (Approx.)	Plot Area (Ha)
1.	Neighborhood Park	10000	1.0
2.	Housing Area Park	5000	0.5
3.	Total Housing Cluster Level	250	0.0125

Table 4: Planning Norms, Standards for Recreational Areas / Parks at Neighborhood Level

iv. Sports Complex

S. No.	Category	Pop. / Unit (Approx.)	Plot Area (Ha)
1.	Divisional Sports Centre / Golf Course	10 lakhs	10 to 30 & above
2.	District Sports Centre	5 lakhs	3 to 10
3.	Community Sports Centre	1 lakh	1 to 3
4.	Neighborhood Play area	10,000	0.5 to 1
5.	Housing Area Play Ground	5,000	0.5

Table 5: Planning Norms, Standard for Sport Center

v. International Sports Events

Suitable area of about 200 ha shall be reserved for International Sports events wherever possible.

vi. Green Belts

Forest, Agriculture use, Vegetation belt, Dairy Farms, Piggery, Poultry farms, Farm house, Wild life sanctuary, Bird sanctuary, Biodiversity Park, Veterinary Centre, Police Post, Fire Post, Smriti Van, Plant Nursery, Orchard, Area for water-harvesting, Floriculture farm, Open Playground, Agro forestry, Amenity structures

a. Community Parks: Park, Children Park, Open-air food court, Playground etc.

b. Amusement Parks: Amusement parks up to 10 Ha may be permitted in District parks. Following development controls shall be applicable:

1. Max Ground coverage – 5%
2. Max FAR – 7.5
3. Max height – 8 mt
4. Parking – 3 ECS/ 100 sqm. Of floor area with the stipulation to provide min. parking for 100 cars.

c. Archaeological Park: The following areas have been designated as Archaeological Parks:

1. Mehrauli Archaeological Park.
2. Tughlaquabad Archaeological Park.
3. Sultan Garhi Archaeological Park.

d. Multipurpose Grounds: It is used for marriage/public functions etc. therefore; a special category is proposed to take care of the dame at three levels in the following manner:

S. No.	Category	Planning Norms& Standard	
		Population / unit (Approx.)	Plot Area (Ha)
1.	City Multipurpose Ground	10 lakhs	8
2.	District Multipurpose Ground	5 lakhs	4
3.	Community Multipurpose Ground	1 lakh	2

Table 6: Planning Norms, Standards for Multi-Purpose Grounds

e. Parking: With the phenomenal increase in personalized motor vehicles, one of the major problems being faced today is an acute

shortage of parking space. In the absence of adequate organized parking space and facilities, valuable road space is being used for vehicular parking. The problem of parking in the city can be broadly divided into the following categories:

A. Along streets, which are commercialized.
B. In planned commercial centers.
C. In residential colonies.
D. In the large institutional complexes.

4. Mobility with the prohibited and regulated area-road surfacing, pedestrian ways, non-motorised transport etc.

Delhi has a rich cultural heritage which caters to the six citadels of old times, all scatters around the city. With growing population and migration in the capital of India, the roads have become congested and traffic always seems to be growing. Even though metro takes half of the load, the road networks are still the same as there has been a drastic rise in the number of vehicles.

The mode of mobility is via cars (including taxis), 2-wheelers, auto rikshaws, buses, magic buses and Vikram autos. Public transport includes DTC (Delhi Transport Corporation) buses, and Cluster buses which runs within the city and in the NCR. There are several private buses as well that run around the city and the NCR.

5. Streetscapes, facades and new construction

The different plots of land along the monument enclosed walls are not bound by any design control, norms and therefore, do not reflect the setting and the context of the monument giving a disaggregated appearance around the site. Comprehensive design guidelines on signage, material and design of boundary walls, street surfacing, street furniture and entrance gate can help unify the space around the site.

संलग्नक - IV

पुराना किला स्मारक के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र

क्रम संख्या	मानचित्र शीर्षक
मानचित्र 1	पुराना किला, दिल्ली की स्थल योजना
मानचित्र 2	पुराना किला, दिल्ली का सर्वेक्षण मानचित्र
मानचित्र 3	पुराना किला, दिल्ली की समोच्च योजना
मानचित्र 4	वार्ड 55-एस, दिल्ली का मानचित्र, स्रोत :डी.डी.ए.
मानचित्र5	दिल्ली महा योजना 2021 के के अनुसार क्षेत्र डी की योजना; स्रोत :डी.डी.ए.

ANNEXURE – IV

Maps providing detailed information for Monument- Purana Qila

Sl.no	Map Title
Map 1	Site plan of Purana-Qila, Delhi
Map 2	Survey Map of Purana Qila, Delhi
Map 3	Contour Plan of Purana Qila, Delhi
Map 4	Map of Ward 55-S, Delhi, Source: DDA
Map 5	Plan of Zone D as per Master Plan of Delhi 2021; Source: DDA

मानचित्र-1

MAP-1

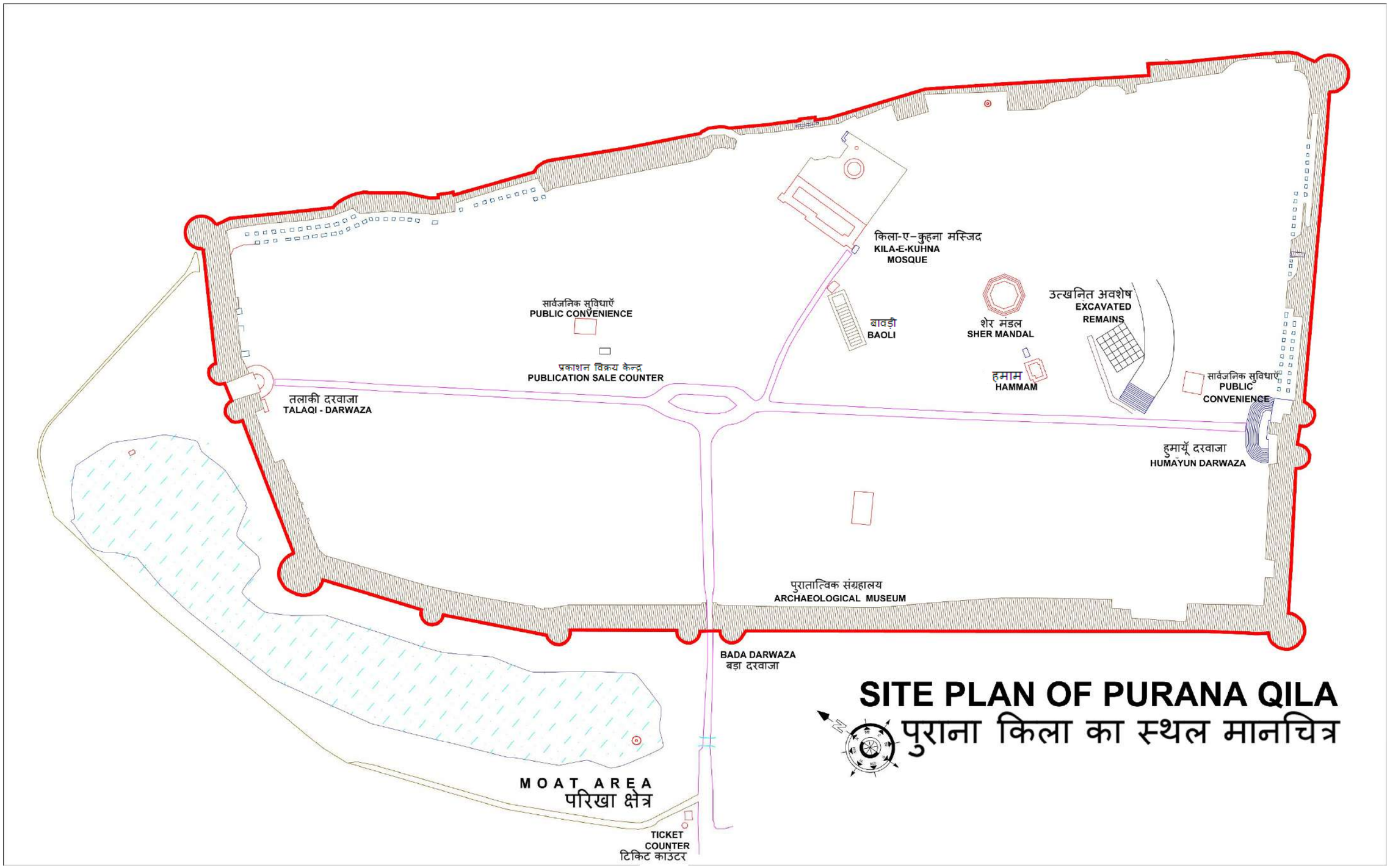

मानचित्र 1, पुराना किला दिल्ली का स्थल मानचित्र

Map1, Site plan of Purana-Qila, Delhi

मानचित्र-2

MAP-2

मानचित्र 2, पुराना किला दिल्ली का सर्वेक्षण मानचित्र

Map2, Survey Map of PuranaOila, Delhi

मानचित्र-3

MAP-3

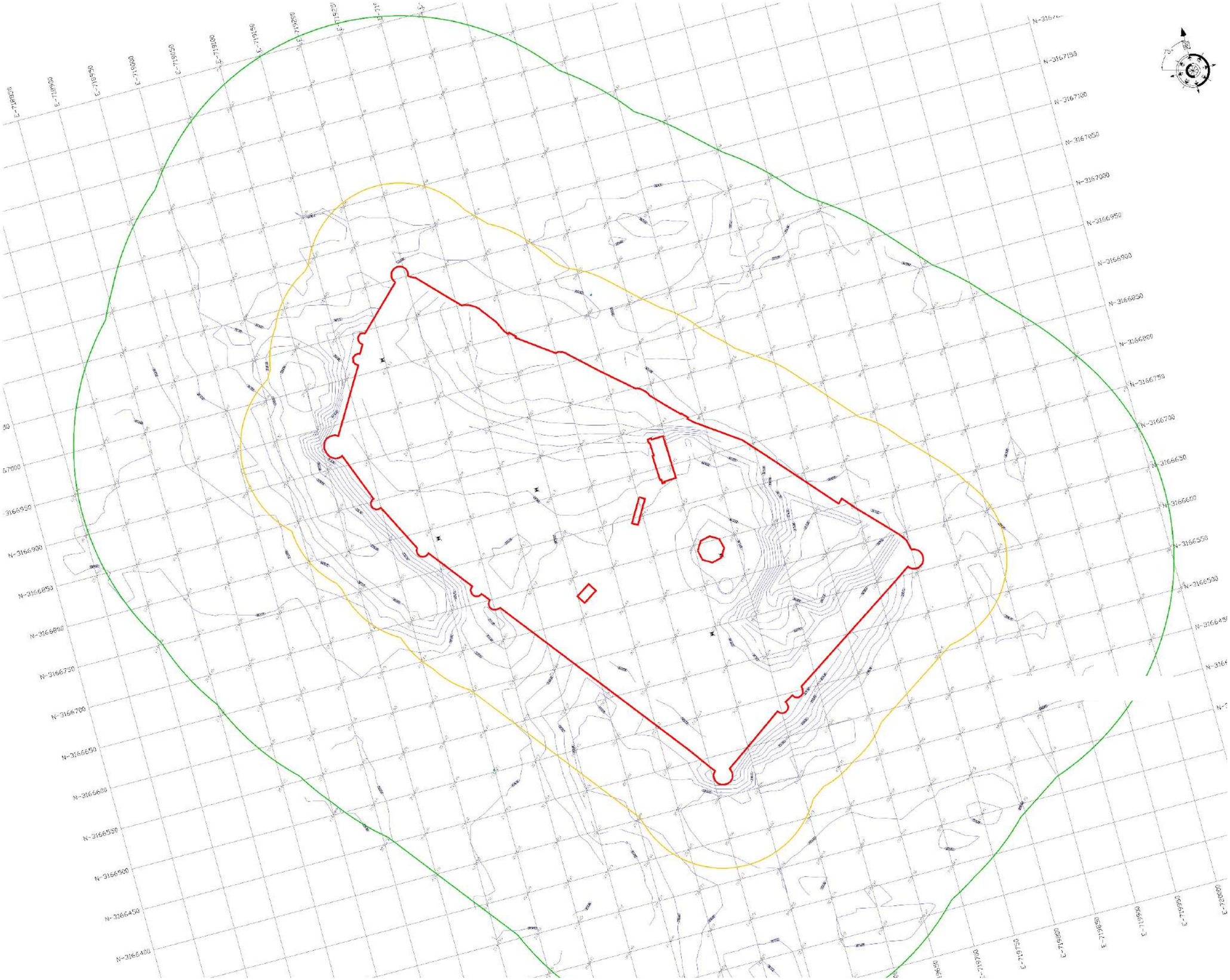

मानचित्र 3, पुराना किला दिल्ली की समोच्च योजना

Map3, Contour Plan of PuranaQila, Delhi

मानचित्र-4

MAP-4

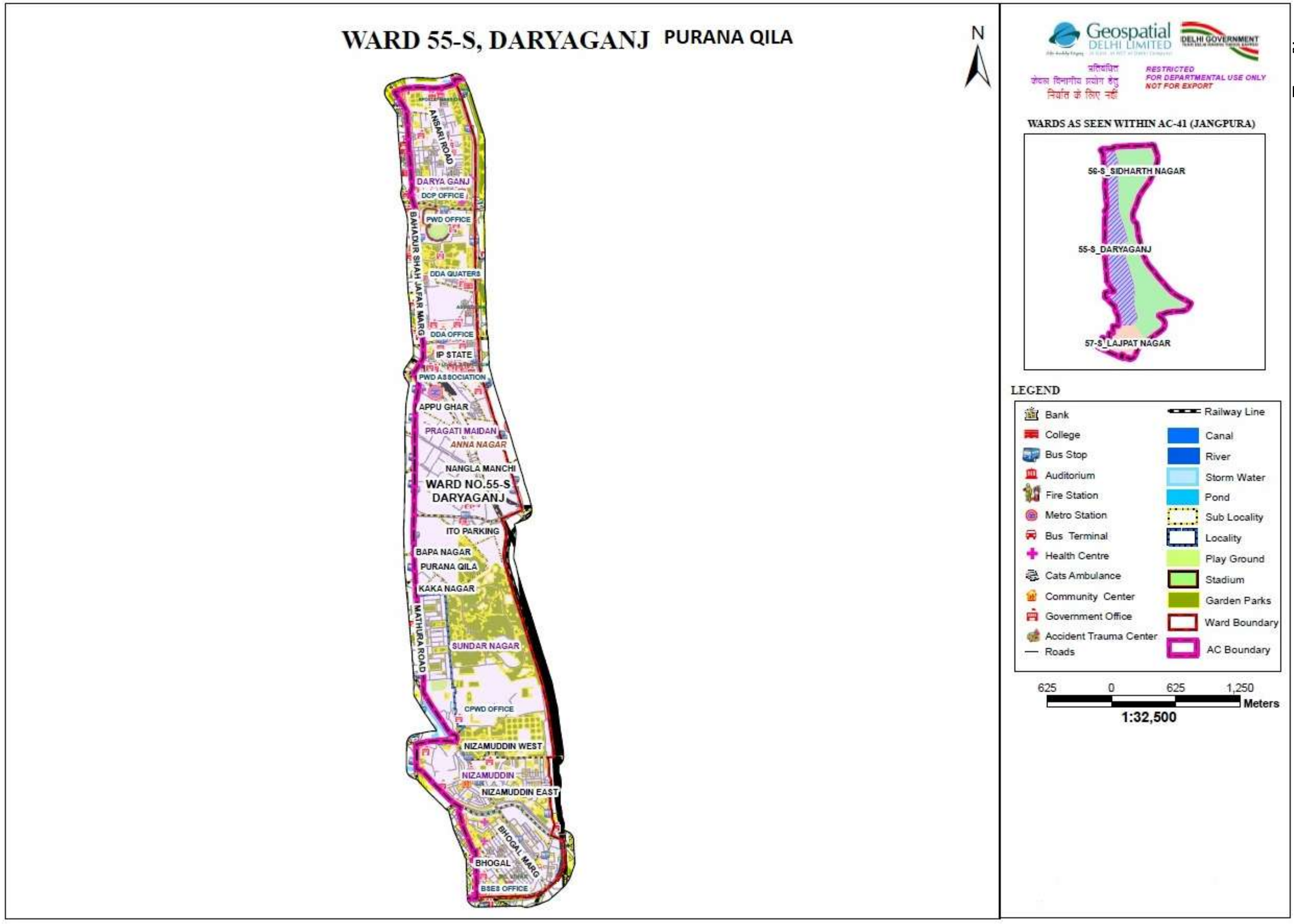

मानचित्र*4,* वार्ड *55-S,* दिल्ली का मानचित्र स्रोत: दिल्ली विकास प्राधिकरण

Map4, Map of Ward 55-S, Delhi, Source: DDA

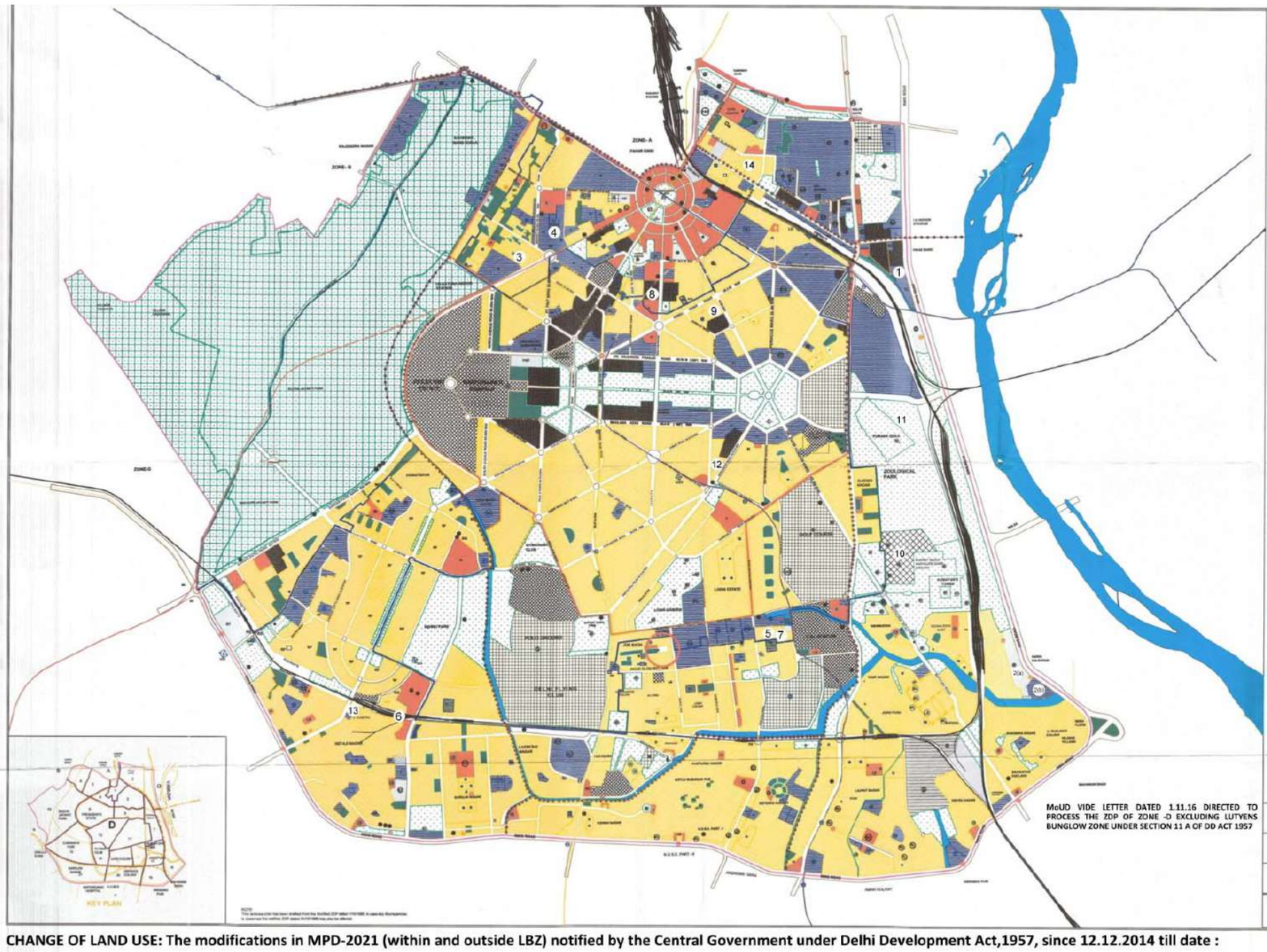

CHANGE OF LAND USE: The modifications in MPD-2021 (within and outside LBZ) notified by the Central Government under Delhi Development Act,1957, since 12.12.2014 till date :

1. Plot No. 10-B, I.P. Estate, New Delhi measuring 0.49 Ha. (1.20 acres) from 'Public & Semi-Public Facilities (Socio-Cultural)' to 'Government (Government Office)' of Ministry of the Human Resource Development vide S.O. S.O. 19 (E) dated 01.01.2015.
2. a) 2nd Inter-State Bus Terminal (ISBT) at Sarai Kale Khan, Delhi of an area measuring 11.71 Ha (11,7091 sqm.) from 'Recreational (District Park)' to 'Transportation (2nd ISBT)' vide S.O. 501 (E) dated 12.02.2015.
   b) Millenium Bus Depot of an area measuring 3.1 Ha. (31,707 sq.m.) from 'Public & semi-public facilities (Motor Driving Training Centre)' to 'Transportation (Bus Depot)' vide S.O. 501 (E) dated 12.02.2015.
3. Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Super Speciality Block measuring an area measuring 0.89 ha. (2.20 acres) at G point, Gole Market, New Delhi from 'Residential' to 'Public & semi-public facilities (Tertiary Health Care Centre)' vide S.O. 502 (E) dated 12.02.2015.
4. Unique Identification Authority of India (UIDAI) Headquarter building measuring 4447.49 sqm. (1.099 Acres) from 'Public & Semi-Public Facilities' to 'Government (Government Office)' at Bangla Sahib Road, New Delhi vide S.O. 1370 (E) dated 21.05.2015.
5. Proposed National Investigation Agency (NIA) Headquarter Building of an area measuring 4191 sq.m. (1.0356 acres) from -'Residential' to 'Government (Govt. Office)', opposite CGO Complex, opening on Road to JLN Staduim, New Delhi vide S.O. 1412 (E) dated 25.05.2015.
6. Area measuring 7830 sq.m. (0.78 ha.) from 'Transportation (Rail Circulation)' to 'Residential' located adjacent to Hotel Leela in Moti Bagh, New Delhi vide S.O. 2048 (E) dated 27.07.2015.
7. Proposed 'Akshay Urja Bhawan' for the Ministry of New and Renewable Energy, of an area measuring 1.12 ha. (2.76 acres) from 'Residential' to Government (Govt. Office)'opposite CGO Complex, opening on Road to JLN Stadium, New Delhi vide S.O. 1492 (E) dated 25.04.2016.
8. Western Court Hostel of an area measuring 7.76 acres (3.14 ha.) from 'Government Office' to 'Residential (Guest House)' at Janpath, New Delhi vide S.O. 1714 (E) dated 12.05.2016.
9. Dedicated office building of an area measuring 1.40 ha. (3.462 acres) from 'Residential' to 'Government (Government Office)' at Curzon Road, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi vide S.O. 2086 (E) dated 13.05.2016.
10. Area in respect of Sunder Nursery measuring 17.0 ha. from 'Agriculture / Green Belt & Water Body (Plant Nursery)' to 'Recreational (District Park)' near Humayun's Tomb, New Delhi vide S.O. 1900 (E) dated 26.05.2016.
11. Proposed building for the National Museum of Natural History (NMNH) of an area measuring 2.63 Ha. (6.5 acres) from 'Recreational (District Park)' to 'Public & Semi-Public Facilities' behind Purana Quila at Bhairon Mandir Road, opposite Pragati Maidan, New Delhi vide S.O. 2085 (E) dated 13.06.2016.
12. Proposed office building of Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of 3019.5 sq.m. (0.3019 Ha.) from 'Residential' to 'Government (Government Office)' of Home Affairs, Government of India at 2-A Mansingh Road, New Delhi vide S.O. 2954 (E) dated 15.09.2016.
13. Proposed multi-specialty Charak Palika hospital of an area measuring 0.28 ha. (2800 sq.m.) from 'Residential' to 'Public & Semi-Public Facilities (PS-1: Hospital)' at Shanti Path along Railway track near Moti Bagh Flyover, New Delhi vide S.O. 3006 (E) dated 20.09.2016.
14. Regarding proposed change of land use in respect of an area measuring 1015 sqm. from 'Residential' to 'Public & Semi-Public facilities' in Pocket-III, Rouse Avenue, DDA Marg, New Delhi allotted to Child Relief & You (CRY) vide S.O. 3493(E) dated 21.11.2016.

Draft [signature] 31/10/16

भूमि उपयोग में परिवर्तन : दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, 12.12.2014 से अब तक, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित दि.मु.यो.–2021 में (एल.बी.जैड के अंदर और बाहर) संशोधन ।

1. एस.ओ. 19(ई) दिनांक 01.01.2015 द्वारा 0.49 हैक्टेयर (1.20 एकड़) के प्लॉट सं. 10–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली का 'सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं (सामाजिक–सांस्कृतिक)' से सरकार (सरकारी कार्यालय)', में परिवर्तन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।
2. क) एस.ओ. 501 (ई) दिनांक 12.02.2015 द्वारा सराय काले खां, दिल्ली में 11.71 हैक्टे. (11,7091 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल के द्वितीय अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल (आई.एस.बी.टी.) का 'मनोरंजनात्मक (जिला पार्क)' से 'परिवहन (द्वितीय आई.एस.बी.टी.)' में परिवर्तन
   ख) एस.ओ. 501 (ई) दिनांक 1 … क्षेत्रफल के मिलेनियम बस … सुविधाओं (मोटर ड्राइविंग ट्रे …
3. एस.ओ. 502 (ई) दिनांक 12.02.2015 द्वारा जी. प्वाइंट, गोल मार्किट, नई दिल्ली में 0.89 हैक्टेयर (2.20 एकड़) क्षेत्रफल के डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं (टेरशरी हैल्थ केयर सेन्टर)' में परिवर्तन ।
4. एस.ओ. 1370 (ई) दिनांक 21.05.2015 द्वारा बंगला साहिब रोड, नई दिल्ली स्थित 4447.49 वर्ग मीटर (1.099 एकड़) के यूनिक आईडेन्टीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (यू.आई.डी.ए.आई.) हेडक्वार्टर बिल्डिंग का 'सार्वजनिक एवं …
6. एस.ओ. 2048 (ई) दिनांक 27.07.2015 द्वारा मोती बाग, नई दिल्ली में होटल लीला के पास स्थित में 7830 वर्ग मीटर (0.78 हैक्टेयर) क्षेत्रफल का परिवहन (रेल परिचालन)' से 'आवासीय' में परिवर्तन।
7. एस.ओ. 1492 (ई) दिनांक 25.04.2016 द्वारा सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स के सामने जे.एल.एन. स्टेडियम के सामने वाली सड़क, नई दिल्ली में 1.12 हैक्टेयर (2.76 एकड़) क्षेत्रफल का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय …
9. एस.ओ. 2086(ई) दिनांक 13.05.2016 द्वारा कर्जन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में 1.40 हैक्टेयर (3.462 एकड़) क्षेत्रफल के कार्यालय भवन का 'आवासीय' से सरकारी (सरकारी कार्यालय) में परिवर्तन ।
10. एस.ओ. 1900(ई) दिनांक 26.05.2016 द्वारा हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली के समीप सुन्दर नर्सरी की 17.0 हैक्टेयर भूमि का 'कृषि/हरित पट्टी एवं जलाशय (पौधशाला)' से मनोरंजनात्मक (जिला पार्क) में परिवर्तन ।
12. एस.ओ. 2954(ई) दिनांक 15.09.2016 द्वारा 2–ए मानसिंह, रोड, नई दिल्ली में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के 3019.5 वर्ग मी. (0.3019 हैक्टे) के प्रस्तावित कार्यालय भवन का 'आवासीय' से 'सरकारी (सरकारी कार्यालय)' में परिवर्तन ।
13. एस.ओ. 3006(ई) दिनांक 20.09.2016 द्वारा शांति पथ पर, रेलवे ट्रैक के साथ, मोतीबाग फ्लाई ओवर के निकट, नई दिल्ली में, 0.28 हैक्टे. (2800 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल के प्रस्तावित मल्टीस्पेशियलिटी चरक …

मानचित्र 5, दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अनुसार क्षेत्र डी का मानचित्र, स्रोत डी. डी. ए.

Map5 ,Plan of Zone D as per Master Plan of Delhi 2021; Source: DDA